ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी के विरुद्ध राज्य शक्ति का दुरुपयोग

प्रयागराज माघ मेला 2026 पर नागरिक समाज का एक तथ्य-अन्वेषण प्रतिवेदन

तथ्य-अन्वेषण समिति

एम. नागेश्वर राव, आईपीएस (सेवानिवृत्त)

पूर्व निदेशक, सीबीआई

प्रो. मधु किश्वर

संस्थापक, मानुषी एवं पूर्व वरिष्ठ फेलो, सीएसडीएस

श्रीमती ऋतु राठौर

सामाजिक कार्यकर्ता

मानव प्रकाशन

कोलकाता

ISBN : 978-93-90462-18-6

प्रथम संस्करण : 2026

© हिन्दुओं के समान अधिकार आंदोलन

प्रकाशक

मानव प्रकाशन

131, चित्तरंजन एवेन्यू

कोलकाता 700 073

मो. 9831581479

ई-मेल : manavprakashan5@gmail.com

मुद्रक :

स्पीड प्रिंट, कोलकाता-700 001

अनुक्रम

प्राक्कथन— एम. नागेश्वर राव, पूर्व निदेशक, सीबीआई	4
प्रमुख निष्कर्ष	10
प्रस्तावना	14
अनुभाग-1: पृष्ठभूमि और संदर्भ	16
अनुभाग-2: समिति का गठन और तथ्य-अन्वेषण की परिधि	27
अनुभाग-3: कार्यप्रणाली एवं साक्ष्याधार	30
अनुभाग-4: विश्लेषण और निष्कर्ष	36
अनुभाग-5: हिंदू धार्मिक स्वायत्तता पर लौकिक राज्य का अतिक्रमण	51
अनुभाग-6: अनुशंसाएँ	55

प्राक्कथन

सभ्यताएँ केवल राजनीतिक शक्ति, आर्थिक सामर्थ्य अथवा प्रशासनिक तंत्र के आधार पर जीवित नहीं रहतीं। उनका अस्तित्व उन स्मृतियों की निरंतरता, उन संस्थाओं के प्रति श्रद्धा तथा उन परंपराओं के संरक्षण पर आधारित होता है, जो किसी समाज को युगो से उसकी सभ्यतागत चेतना से जोड़ती हैं।

इस प्रतिवेदन में जिन घटनाओं का परीक्षण किया गया है, उन्हें किसी धार्मिक समागम की कालावधि में उत्पन्न साधारण प्रशासनिक विवाद के रूप में नहीं देखा जा सकता। वे कहीं अधिक गहरे और मूलभूत प्रश्न उपस्थित करती हैं। यहाँ मूल प्रश्न यह है कि आधुनिक लौकिक राज्य और हिंदू समाज की प्राचीन सभ्यतागत संस्थाओं के बीच संबंध की मर्यादा क्या है; धर्म के विषयों में राज्य शक्ति की सीमाएँ क्या हैं; तथा प्रशासनिक अधिकार और धार्मिक स्वायत्तता के मध्य संवैधानिक संतुलन किस प्रकार संरक्षित रहना चाहिए।

माघ मेला और कुंभ मेला राज्य द्वारा निर्मित आयोजन नहीं हैं। वे मानव इतिहास की सर्वाधिक प्राचीन और अअनुभाग रूप से निरंतर चलने वाली सभ्यतागत धार्मिक परंपराओं में से हैं, जिनका अस्तित्व आधुनिक भारतीय राज्य के उदय से बहुत पूर्व से चला आ रहा है। राज्य ने इन संस्थाओं की रचना नहीं की; उसने इन्हें उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। अतः उसकी भूमिका स्वभावतः सीमित है सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, जनसुविधाएँ, स्वच्छता और नागरिक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना — न कि उन धार्मिक संरचनाओं और प्राधिकारों में हस्तक्षेप करना, जिनसे इन समागमों को उनका वास्तविक स्वरूप और वैधता प्राप्त होती है।

लौकिक व्यवस्था राज्य को धार्मिक वैधता का निर्णायक बनने का अधिकार नहीं देती। वह किसी लौकिक अधिकारी को यह निर्धारित करने की अनुमति नहीं देती कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं; न ही वह स्थापित धार्मिक मर्यादाओं में परिवर्तन अथवा प्राचीन धार्मिक संस्थाओं को नौकरशाही नियंत्रण के अधीन करने की अनुमति देती है। जिस क्षण राज्य इस प्रकार का अधिकार ग्रहण करना प्रारंभ करता है, उसी क्षण लौकिकता का मूल सिद्धांत विकृत हो जाता है। लौकिक राज्य धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है; वह धर्म का संचालन नहीं करता।

समिति द्वारा परीक्षण की गई सामग्री अत्यंत चिंताजनक घटनाक्रम को प्रकट करती है। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी की पारंपरिक पालकी शोभायात्रा — जो हिंदू धार्मिक समागमों में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त एक प्राचीन धार्मिक परंपरा है — को उस समय रोका गया जब वह अपने अंतिम चरण में थी और स्वयं पुलिस के संरक्षण में आगे बढ़ रही थी। भक्तों, शिष्यों और वेद विद्यार्थियों (वटुकों) के साथ बलपूर्वक और अपमानजनक व्यवहार किया गया। इसके उपरांत लौकिक प्राधिकारियों ने ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी की धार्मिक पदस्थिति से संबंधित विषयों में हस्तक्षेप किया, और तत्पश्चात गंभीर असंगतियों तथा प्रक्रियात्मक अनियमितताओं से युक्त आपराधिक कार्यवाहियाँ आरंभ हुईं।

इन घटनाओं को केवल कानून-व्यवस्था के प्रश्न के रूप में नहीं समझा जा सकता। वे उससे कहीं अधिक मूलभूत विषय को स्पर्श करती हैं – हिन्दू सभ्यतागत निरन्तरता का प्रतिनिधित्व करने वाली धार्मिक संस्थाओं से सम्बन्धित विषयों में लौकिक राज्यसत्ता की मर्यादा क्या है?

इतिहास यह प्रमाणित करता है कि हिंदू धार्मिक संस्थाओं का अस्तित्व न तो स्वतः सुरक्षित रहा और न ही बिना मूल्य चुकाए संरक्षित हुआ। इस्लामी आक्रमणों और शासन के दीर्घ कालखंडों में मंदिरों के विध्वंस, धार्मिक परंपराओं में व्यवधान तथा सतत सभ्यतागत दबावों के होते हुए भी हिंदू समाज ने अपने धार्मिक जीवन को असाधारण त्याग, सामाजिक धैर्य, आध्यात्मिक नेतृत्व और निरंतर सामूहिक प्रतिरोध के माध्यम से सुरक्षित रखा। मठों,

मंदिरों, अखाड़ों और धार्मिक समागमों जैसी संस्थाओं की अअनुभाग निरंतरता ऐतिहासिक अनिवार्यता का परिणाम नहीं, बल्कि उन असंख्य पीढ़ियों के सतत संकल्प का प्रमाण है जिन्होंने अपनी धार्मिक विरासत को नष्ट होने नहीं दिया।

शंकराचार्य जी की पारंपरिक पालकी शोभायात्रा भी उसी सभ्यतागत निरंतरता का अंग है। जिन कालखंडों में पवित्र समागमों और स्नान परंपराओं तक पहुँच बाधित की गई, उन कालों में हिंदू समाज ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी इन धार्मिक परंपराओं की पुनर्स्थापना और संरक्षण के लिए संघर्ष किया। किंतु किसी भी परंपरा की निरंतरता को स्थायी रूप से सुरक्षित मान लेना भूल होगी। कोई भी धर्म केवल अपनी प्राचीनता के आधार पर जीवित नहीं रहता, और न ही पूर्व पीढ़ियों के त्याग के सहारे वर्तमान संस्थागत क्षरण की उपेक्षा करके सुरक्षित रह सकता है। प्रत्येक पीढ़ी केवल अपनी सभ्यता की उपलब्धियों की उत्तराधिकारी नहीं होती; वह उसके संरक्षण, संवर्धन और सुदृढ़ीकरण की उत्तरदायी भी होती है। संवैधानिक लोकतंत्र में यह दायित्व विधिसम्मत, बौद्धिक, संस्थागत और सामाजिक प्रयासों की अपेक्षा करता है, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वायत्तता और सभ्यतागत निरंतरता प्रशासनिक अतिक्रमण अथवा संरचनात्मक असंतुलन के कारण क्रमशः दुर्बल न होने पाए।

पुलिस व्यवस्था, आपराधिक अन्वेषण और सार्वजनिक प्रशासन में दीर्घकाल तक कार्य करने के कारण मैं राज्यसत्ता की वैध आवश्यकता से पूर्णतः परिचित हूँ। लोकतांत्रिक समाज में सार्वजनिक व्यवस्था अनिवार्य है। किंतु विधि-शासित शासन संयम की भी अपेक्षा करता है। राज्य की दमनकारी शक्ति निरंकुश नहीं होती; वह विधि, संस्थागत अनुशासन तथा संविधान द्वारा धार्मिक सभ्यतागत परंपराओं की मर्यादाओं से आबद्ध रहती है।

इस प्रतिवेदन का उद्देश्य न तो भावनाओं को उद्दीप्त करना है और न ही सामाजिक विभाजन को गहरा करना। न ही इसका प्रयोजन किसी व्यक्ति को विधिसम्मत परीक्षण से परे स्थापित करना है। समिति ने जानबूझकर आपराधिक दोषनिर्धारण से स्वयं को पृथक रखा है, क्योंकि वह कार्य केवल

सक्षम न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र में आता है। इस अन्वेषण का उद्देश्य केवल यह परीक्षण करना रहा है कि क्या घटनाओं का क्रम संस्थागत अतिक्रमण, प्रक्रिया के दुरुपयोग तथा लौकिक प्रशासन और हिंदू धार्मिक संस्थाओं के मध्य संरचनात्मक असंतुलन को उद्घाटित करता है।

मेरे विनम्र मत में, इस प्रतिवेदन के निष्कर्ष ऐसे प्रश्न उठाते हैं जिन पर राष्ट्रव्यापी गंभीर विचार अपेक्षित है।

कोई भी लोकतंत्र तब स्वस्थ नहीं रह सकता जब राज्य का विशाल तंत्र — प्रशासनिक, आरक्षी और अभियोजनात्मक — विधिसम्मत नियमन की सीमा का अतिक्रमण कर चयनात्मक अपमान, वैधता-भंजन अथवा हिंदू धार्मिक जीवन में दमनकारी हस्तक्षेप का माध्यम प्रतीत होने लगे। इसी प्रकार कोई भी सभ्यता तब अपनी निरंतरता सुरक्षित नहीं रख सकती जब उसकी सर्वोच्च धार्मिक संस्थाएँ क्रमशः नौकरशाही शक्ति की अधीनस्थ इकाइयों में परिवर्तित होने लगें।

भारत की संवैधानिक व्यवस्था धर्म और राज्य के बीच वैर की अपेक्षा नहीं करती; वह संतुलन की अपेक्षा करती है। राज्य को नागरिक विषयों का संचालन करना चाहिए और धार्मिक संस्थाओं को धार्मिक विषयों का। जब इन सीमाओं का सम्मान किया जाता है, तब सुशासन और धार्मिक सौहार्द दोनों सुदृढ़ होते हैं। जब ये सीमाएँ धूमिल होती हैं, तब संघर्ष, अविश्वास और संस्थागत टकराव अनिवार्य हो जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में परीक्षण की गई घटनाएँ कोई पृथक अनियमितताएँ नहीं हैं; वे लौकिक राज्य और हिंदू धार्मिक संस्थाओं के संबंधों में निहित गहरे संरचनात्मक असंतुलन की अभिव्यक्तियाँ हैं। हिंदूधार्मिक क्षेत्रों में राज्य नियंत्रण के क्रमिक विस्तार ने निरंतर संघर्ष, संस्थागत टकराव और हिंदूधार्मिक प्राधिकार के क्षेत्रों में बढ़ते प्रशासनिक अतिक्रमण को जन्म दिया है। यदि इन्हें सिद्धांतसम्मत संवैधानिक और विधायी सुधारों के माध्यम से संबोधित नहीं किया गया, तो ऐसे संघर्षों की पुनरावृत्ति होती रहेगी।

यह विषय सार्वजनिक जीवन से जुड़े सभी पक्षों विभिन्न राजनीतिक दलों, नागरिक समाज संस्थाओं, शिक्षा जगत, संवैधानिक विद्वानों, विधिवेत्ताओं, जनसंचार माध्यमों, सार्वजनिक चिंतकों तथा हिंदूधार्मिक संस्थाओं द्वारा गंभीर विचार का अधिकारी है। मूल प्रश्न यह है कि क्या लौकिक राज्य अपनी वैध सीमाओं — सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, आधारभूत संरचना और नागरिक प्रशासनतक सीमित रहेगा, अथवा हिंदू धर्म और धार्मिक संचालन के विषयों में निरंतर हस्तक्षेप करता रहेगा।

धर्म और राज्य का पृथक्करण ही लौकिकता का वास्तविक सार है। एक वास्तविक लौकिक राज्य धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है; वह धर्म का संचालन नहीं करता और न ही धार्मिक वैधता का निर्धारण करता है। इसी कारण समिति ने संवैधानिक संतुलन की पुनर्स्थापना हेतु तात्कालिक संरचनात्मक और विधायी सुधारों का प्रस्ताव किया है। इन अनुशंसाओं पर तत्काल और गंभीर विचार-विमर्श अपेक्षित है।

संवैधानिक संतुलन और सभ्यतागत निरंतरता का संरक्षण अंततः इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य हिंदूधर्म के विषयों में अपनी सीमाओं को किस सीमा तक स्वीकार करता है।

यह आशा की जाती है कि इस प्रतिवेदन को राजनीतिक पक्षधरता की दृष्टि से नहीं, बल्कि उन व्यापक संवैधानिक और सभ्यतागत प्रश्नों पर विचार के निमंत्रण के रूप में पढ़ा जाएगा, जो तत्काल परीक्षणाधीन घटनाओं से कहीं आगे तक विस्तृत हैं।

हमने इस प्रतिवेदन को काशी में प्रकाशित करने का निर्णय जानबूझकर लिया है — उस काशी में, जो अनादिकाल से सनातन धर्म की चिरंतन चेतना तथा हिंदू धार्मिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और सभ्यतागत जीवन का प्रमुख केंद्र रही है।

यह प्रतिवेदन अंग्रेज़ी एवं हिन्दी — दोनों भाषाओं में एक ही ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। पुस्तक के एक ओर अंग्रेज़ी पाठ तथा दूसरी

ओर हिन्दी पाठ स्वतंत्र रूप से विन्यस्त हैं। दोनों संस्करणों में प्रतिवेदन के मूल आशय एवं भाव को यथावत् अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया गया है; तथापि किसी व्याख्यात्मक भिन्नता की स्थिति में अंग्रेज़ी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाएगा।

अन्त में, मैं "हिन्दुओं के समान अधिकार आन्दोलन" के प्रति इस प्रतिवेदन के प्रकाशन तथा उसके व्यापक प्रसार हेतु व्यक्त अपना आभार अभिलिखित करता हूँ।

12 मई 2026

एम. नागेश्वर राव
पूर्व निदेशक, सीबीआई

प्रमुख निष्कर्ष

नागरिक समाज की ओर से समिति ने प्रयागराज माघ मेले में 18 जनवरी 2026 को घटित घटनाओं का तथ्यान्वेषण किया। इसमें मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर पवित्र गंगा-स्नान हेतु ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी की पारम्परिक पालकी-यात्रा को अवरुद्ध किये जाने, बटुकों एवं श्रद्धालुओं के साथ हुए व्यवहार, तथा उसके उपरान्त प्रशासन, पुलिस और शासनतन्त्र द्वारा की गयी कार्यवाहियों का परीक्षण किया गया।

अ. माघ मेला प्रकरण

1. ज्योतिर्मठशंकराचार्य जी की पारम्परिक पालकी-यात्रा को अवैध एवं मनमाने ढंग से रोका जाना, एक प्रतिष्ठित तथा संविधान-संरक्षित हिन्दू धार्मिक परम्परा में बाधा उत्पन्न करना था।
2. पश्चात् शासनतन्त्र द्वारा भीड़-नियन्त्रण तथा भगदड़-आशंका के जो कारण प्रस्तुत किये गये, वेउपलब्ध साक्ष्यों से समर्थित नहीं हैं तथा बाद में गढ़े गये औचित्य-मात्र प्रतीत होते हैं।
3. शान्तिपूर्ण भक्तों एवं बटुकों पर बल-प्रयोग, तथा बटुकों को उनकी शिखा पकड़कर घसीटने जैसा अपमानजनक आचरण, पूर्णतः अवैध एवं राजशक्ति के घोर दुरुपयोग का द्योतक था।
4. इसके उपरान्त लौकिक शासनतन्त्र द्वारा ज्योतिर्मठशंकराचार्य जी से उनकी वैधता सिद्ध करने की अपेक्षा करना, सर्वोच्च हिन्दू धार्मिक पद की गरिमा एवं अधिकार पर प्रत्यक्ष आघात था।

ब. राजनीतिक लक्ष्यीकरण एवं पॉक्सो प्रकरण

5. हिन्दू-विरोधी नीतियों तथा हिन्दू धार्मिक संस्थाओं पर बढ़ते राज्य एवं संगठनात्मक नियन्त्रण के विरुद्ध ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी द्वारा निरन्तर व्यक्त सार्वजनिक विरोध के पश्चात् उनके विरुद्ध कार्यवाहियों का क्रम आरम्भ हुआ।
6. पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज प्राथमिकी तथा उससे सम्बन्धित कार्यवाहियों से दण्ड-प्रक्रिया के ऐसे दुरुपयोग के प्रबल संकेत मिलते हैं, जिसका उद्देश्य ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी तथा शंकराचार्य संस्था को उत्पीड़ित करना, सार्वजनिक रूप से कलंकित करना एवं उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाना प्रतीत होता है।
7. माननीय मुख्यमंत्री के सार्वजनिक वक्तव्य एवं आचरण, विशेषतः ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी को "कालनेमि-सदृश" बताना तथा उनकी वैधता पर प्रश्न उठाना, इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि उनके विरुद्ध राज्य शक्ति का सुनियोजित दुरुपयोग किया गया।

स. संवैधानिक एवं संरचनात्मक प्रश्न

8. राज्य द्वारा ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी की वैधता पर प्रश्न उठाना संवैधानिक मर्यादा के प्रतिकूल है। संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात् जिस प्रकार प्रधानमन्त्री अथवा मुख्यमंत्री की वैधता पर पुनः विचार नहीं किया जाता, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के शंकराचार्य होने अथवा न होने का निर्णय करना भी राज्य के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आता।
9. धार्मिक संस्थाओं में उत्तराधिकार की परम्पराएँ सुस्थापित एवं परम्परासिद्ध होती हैं। अतः ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी की वैधता पर श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उठाया गया प्रश्न, परम्परागत उत्तराधिकार-प्रक्रिया से प्राप्त उनके गोरक्षनाथ पीठ के महन्त-पद पर भी समान रूप से लागू हो सकता है।

10. लौकिक राज्य-समारोहों में संवैधानिक पदाधिकारियों की गरिमा एवं मर्यादा का अत्यन्त सावधानी पूर्वक पालन किया जाता है। इसके विपरीत, राज्य-नियन्त्रित हिन्दू धार्मिक आयोजनों में धर्माचार्यों एवं धार्मिक संस्थाओं पर प्रशासनिक नियन्त्रण रखा जाता है। इससे हिन्दू धार्मिक संस्थाओं में बढ़ते लौकिक हस्तक्षेप की प्रवृत्ति स्पष्ट होती है।
11. इस्लाम अथवा ईसाई धर्म की धार्मिक संस्थाओं एवं आयोजनों पर राज्य का ऐसा नियन्त्रण दिखाई नहीं देता। इससे स्पष्ट होता है कि लौकिक राज्यशक्ति का प्रयोग हिन्दू संस्थाओं के प्रति भेदभावपूर्ण ढंग से किया जा रहा है।
12. इस प्रतिवेदन में वर्णित घटनाओं एवं कार्यवाहियों से यह स्पष्ट होता है कि ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी तथा शंकराचार्य संस्था के विरुद्ध राज्यशक्ति का सुनियोजित एवं गम्भीर दुरुपयोग हुआ।

द. अनुशंसाएँ

इन घटनाओं से हिन्दू धार्मिक संस्थाओं की गरिमा को गम्भीर आघात पहुँचा है। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी के विरुद्ध राज्यशक्ति के दुरुपयोग से राज्य तथा हिन्दू धर्म के एक सर्वोच्च धार्मिक पद के बीच अनावश्यक टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। इससे हिन्दू समाज की प्रतिष्ठा भी आहत हुई है। यह स्थिति और भी चिन्ताजनक है, क्योंकि राज्य का नेतृत्व स्वयं गोरक्षनाथ पीठ के एक महन्त के हाथों में है। अतः सामाजिक एवं धार्मिक सामंजस्य बनाये रखने के लिए तत्काल उपयुक्त कदम उठाये जाने चाहिए।

1. तात्कालिक उपाय

(i) ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी के विरुद्ध राज्यशक्ति का दुरुपयोग राज्य के स्तर पर हुआ है। इसलिए इस विवाद को समाप्त करने का दायित्व भी राज्य-नेतृत्व पर ही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को

ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी के साथ सीधे संवाद द्वारा स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास करना चाहिए।

(ii) ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी, उनके शिष्यों तथा हिन्दू समाज के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना राज्य-नेतृत्व का दायित्व है।

(iii) ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी को बारम्बार धमकियाँ मिल रही हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार को तत्काल उपाय करने चाहिए।

2. संरचनात्मक उपाय

हिन्दू धार्मिक संस्थाओं पर राज्य का नियन्त्रण असंवैधानिक एवं अनुचित है। इस व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है। परम्परागत धर्माचार्यों की एक स्वायत्त वैधानिक संस्था — **"उत्तर प्रदेश हिन्दू धर्म परिषद्"** — स्थापित की जानी चाहिए। हिन्दू धार्मिक संस्थाओं, मन्दिरों, आयोजनों तथा मेलों के सम्बन्ध में मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण उसी के अधीन रहना चाहिए।इन क्षेत्रों में लौकिक राज्य की भूमिका केवल लोक-व्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा आवश्यक व्यवस्थाओं तक सीमित रहनी चाहिए। इससे धार्मिक संस्थाओं एवं आयोजनों में राज्य का अनावश्यक हस्तक्षेप सीमित होगा। साथ ही, धर्म और राज्य को पृथक् रखने का संवैधानिक सिद्धान्त भी सुदृढ़ होगा।

*****

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन माघ मेला, प्रयागराज में 18 जनवरी 2026 ई. सन् को घटित घटनाओं के एक स्वतंत्र तथ्यान्वेषण का निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, जिनमें मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर पवित्र गंगा स्नान के निमित्त ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की पारंपरिक पालकी शोभायात्रा में बाधा डालना, प्रशासन और पुलिस द्वारा बल का प्रयोग करना और उनके बाद के घटनाक्रम सम्मिलित हैं।

यह अन्वेषण तात्कालिक घटना तक सीमित न रहकर प्रशासनिक कार्रवाइयों के क्रम, पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत की गई आपराधिक कार्यवाहियों तथा राज्यीय प्राधिकारियों की भूमिका का परीक्षण करता है, ताकि घटनाओं के संपूर्ण क्रम का आकलन किया जा सके और यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वे किसी व्यापक संरचनात्मक प्रतिरूप को उद्घाटित करते हैं। यह लौकिक राज्य सत्ता और स्थापित धार्मिक प्रथाओं के बीच संस्थागत और संरचनात्मक मुद्दों की भी जाँच करती है, जिसमें हिंदू धार्मिक संस्थानों और मण्डलियों के संबंध में राज्य के अधिकार के क्षेत्र और सीमाएँ सम्मिलित हैं।

किसी स्वतंत्र न्यायिक जाँच आयोग की अनुपस्थिति में यह जाँच की गई, जिसका उद्देश्य घटनाओं का साक्ष्य-आधारित वृत्तान्त स्थिर करना, संबंधित अधिकारियों के आचरण की वैधता और औचित्य का मूल्यांकन करना और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले व्यापक संस्थागत और संवैधानिक प्रभावों की पहचान करना था। प्रतिवेदन में चिह्नित चिंताओं को दूर करने और उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक उपयुक्त संस्थागत, वैधानिक और नीतिगत उपायों की भी अनुशंसा की गई है।

प्रतिवेदन की संरचना इस प्रकार है:

अनुभाग 1 में पृष्ठभूमि और परिस्थिति का वर्णन किया गया है;

अनुभाग 2 में जाँच की संरचना और दायरे की व्याख्या की गई है;

अनुभाग 3 में कार्यप्रणाली और साक्ष्य के आधार का वर्णन किया गया है;

अनुभाग 4 में विश्लेषण और निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं;

अनुभाग 5 घटनाओं से उत्पन्न संरचनात्मक प्रभावों की जाँच करता है; और

अनुभाग 6 में तत्काल उपायों और दीर्घकालिक संस्थागत और विधायी सुधारों से युक्त अनुशंसाएँ सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन का उद्देश्य प्रश्नगत घटनाओं का एक सुसंगत और साक्ष्य-आधारित विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना और उन्हें उनके व्यापक संस्थागत और संवैधानिक संदर्भ में स्थापित करना है, ताकि लोक सूचना को समृद्ध किया जा सके और उचित सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

1. पृष्ठभूमि और संदर्भ

1.1 माघ मेला एवं कुम्भ मेला का सभ्यतागत तथा धार्मिक महत्त्व

प्रयागराज में आयोजित माघ मेला एक प्राचीन हिन्दू धार्मिक महासमागम है, जो स्थापित धार्मिक विधि-विधान तथा सनातन सभ्यतागत परम्पराओं द्वारा संचालित होता है। इसका केन्द्रीय आधार त्रिवेणी संगम – गंगा, यमुना तथा अन्तर्वाहिनी सरस्वती का संगम — पर सम्पन्न होने वाला पवित्र स्नान है, जिसकी महत्ता पुराणादि शास्त्रों में दृढ़तया प्रतिष्ठित है।

माघ मेला प्रति वर्ष हिन्दू पंचांग के माघ मास में आयोजित होता है, जिसका प्रारम्भ पौष पूर्णिमा से होकर समापन महाशिवरात्रि पर होता है। यह सम्पूर्ण अवधि एक अखण्ड धार्मिक साधना-चक्र का निर्माण करती है, जिसका केन्द्रबिन्दु माघस्नान है। शास्त्रीय परम्परा में इसे विशेषतः संगम जैसे परमपावन तीर्थ में सम्पन्न करने पर अत्यन्त पुण्यदायक माना गया है।

इस कालखण्ड में कुछ विशिष्ट तिथियों को विशेष धार्मिक महत्त्व प्राप्त है। इनमें मौनी अमावस्या का स्थान सर्वोपरि है। यह अमावस्या तिथि, माघ मास तथा संगम की पवित्रता — इन तीनों का अद्वितीय संयोग प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर किया जाने वाला स्नान परम्परागत रूप से दिव्य स्नान कहलाता है, अर्थात् ऐसा स्नान जो अत्यन्त पवित्र तथा आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चतम शुद्धिकरण का रूप माना गया है। उत्तरकाल में, विशेषतः मध्यकालीन प्रभावों के परिणामस्वरूप, इसे प्रचलित बोलचाल में "शाही स्नान" कहा जाने लगा, जो मूलतः संस्कृत-परम्परा का शब्द नहीं है।

मौनी अमावस्या का महत्त्व तीव्र तप तथा संयमप्रधान साधना के कारण और भी अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार यह माघ मेला का प्रधान स्नान-पर्व है तथा सर्वाधिक जनसमूह को आकर्षित करता है।

यह विशेष रूप से स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि प्रयागराज में

आयोजित कुम्भ मेला, माघ मेला से भिन्न या पृथक् आयोजन नहीं है। वस्तुतः यह वही माघ मेला है, जो विशिष्ट ज्योतिषीय योगों के अंतर्गत, लगभग प्रत्येक बारह वर्ष में एक बार, कुम्भ मेला के रूप में प्रतिष्ठित होता है। जब गुरु (बृहस्पति) तथा सूर्य से सम्बन्धित नियत ग्रह-स्थितियाँ माघ मास के साथ संयोग करती हैं, तब वार्षिक माघ मेला ही कुम्भ मेला का स्वरूप ग्रहण करता है।

अतः कालगत संरचना पूर्णतः समान रहती है – कुम्भ मेला भी पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक उसी अवधि में आयोजित होता है तथा वही अनुष्ठानों तथा स्नान-पर्वों की क्रमबद्धता का अनुसरण करता है, जिसमें मौनी अमावस्या का केन्द्रीय स्थान बना रहता है। भिन्नता केवल इसकी ज्योतिषीय महत्ता तथा व्यापकता में निहित है, जिसके कारण कुम्भ मेला में धार्मिक पुण्य की तीव्रता तथा सहभागिता का विस्तार अत्यधिक हो जाता है।

अतः जहाँ माघ मेला एक वार्षिक धार्मिक महासमागम है, वहीं यही आयोजन जब बारह-वर्षीय ज्योतिषीय चक्र में सम्पन्न होता है, तो उसे कुम्भ मेला कहा जाता है। इस प्रकार दोनों पृथक् संस्थाएँ न होकर एक ही सतत् सभ्यतागत परम्परा के भिन्न-भिन्न प्राकट्य हैं।

माघ मेला, अपने वार्षिक तथा कुम्भ — दोनों रूपों में, गमन-क्रम, अनुशासन तथा अनुष्ठान-प्रदर्शन से सम्बन्धित सुव्यवस्थित परम्पराओं द्वारा संचालित होता है। ये परम्पराएँ धर्म-परम्परा से उद्भूत हैं तथा सहभागी धार्मिक संस्थाओं एवं श्रद्धालुओं द्वारा बाध्यकारी मानदण्ड के रूप में स्वीकृत हैं। अतः यह आयोजन कोई अनियंत्रित सार्वजनिक जमावड़ा नहीं, अपितु एक आन्तरिक अनुशासन, श्रेणीबद्ध व्यवस्था तथा शास्त्राधिष्ठित आचरण से संरचित धार्मिक महासमागम है।

इस स्थिति के महत्वपूर्ण संवैधानिक निहितार्थ हैं। माघ मेला तथा कुम्भ मेला आधुनिक राज्य की सृष्टि नहीं हैं; वे राज्य से पूर्ववर्ती, सनातन सभ्यतागत संस्थाएँ हैं, जिनकी वैधता हिन्दू धार्मिक परम्परा से उद्भूत होती है। अतः राज्य की भूमिका केवल सुविधा-प्रदाय तक सीमित है – जैसे लोक-व्यवस्था, सुरक्षा, अधोसंरचना तथा नागरिक व्यवस्थापन – और यह स्थापित

धार्मिक परम्पराओं, आचरणों अथवा श्रेणी-व्यवस्था में हस्तक्षेप, परिवर्तन या निर्णय करने तक विस्तारित नहीं हो होती।

1.2 शंकराचार्य जी की स्थिति

आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार आम्नाय मठों से संबद्ध शंकराचार्य जी के संस्थान हिंदू धार्मिक व्यवस्था में सर्वोच्च सैद्धांतिक और आध्यात्मिक सत्ता का स्थान रखते हैं। हिमालय क्षेत्र में स्थित ज्योतिर्मठ इन्हीं पारंपरिक केन्द्रीय सत्ता में से एक है।

प्रमुख धार्मिक समागमों में शंकराचार्य जी की उपस्थिति का संस्थागत और कार्यात्मक महत्व है। यह स्थापित धार्मिक पदानुक्रम के अंतर्गत धार्मिक गतिविधियों के संगठन और संचालन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

इस प्रकार की भागीदारी का एक प्रमुख पक्ष पालकी शोभायात्रा है, जिसमें शंकराचार्य जी अपने शिष्यों और अनुयायियों के साथ यात्रा करते हैं। यह यात्रा पद की गरिमा और स्थापित परंपराओं की निरंतरता का अभिन्न अंग है। यद्यपि प्रशासनिक-व्यवस्था, मार्ग और समय का समन्वय कर सकती है, तो भी शोभायात्रा का मूल स्वरूप धार्मिक और संस्कारिक बना रहता है, और इसका आयोजन बड़े हिंदू संप्रदायों के स्वीकृत धार्मिक मामलों के संचालन/प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है।

1.3 पालकी परंपरा की ऐतिहासिक निरंतरता

मुस्लिम शासनकाल के दौरान, कुंभ और माघ मेलों जैसे पवित्र अवसरों पर तीर्थस्नान हेतु संगम तक जाना प्रतिबंधित किया गया और बार-बार बाधित किया गया। इसके प्रत्युत्तर में, पेशवा शासकों ने इन धार्मिक प्रथाओं को पुनरुद्धार और पुनर्स्थापन हेतु सुनियोजित सैन्य एवं राजनीतिक कार्रवाई की। उनका यह हस्तक्षेप मात्र प्रशासनिक नहीं, बल्कि सभ्यतागत स्वरूप का था: इसने हिंदुओं के गंगा स्नान करने के अधिकार को पुनः स्थापित किया और ऐसे धार्मिक समागमों को संचालित करने वाली धार्मिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया।

इस पुनर्स्थापन में शंकराचार्य जी तथा अन्य प्रमुख धार्मिक पदाधिकारियों की पारंपरिक पालकी यात्राओं का पुनःस्थापन भी सम्मिलित था। ये यात्राएँ ऐतिहासिक रूप से मराठा संरक्षण के अंतर्गत हिंदू धार्मिक अधिकारों के प्रतिपादन और संरक्षण से संबद्ध हो गईं और सामान्यतः पेशवाई यात्रा के रूप में जानी जाती हैं। अतः यह प्रथा आकस्मिक नहीं है; यह संगम पर हिंदू धार्मिक जीवन की ऐतिहासिक रक्षा और पुनर्गठन से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है।

साथ ही, शंकराचार्य जी की पारंपरिक पालकी यात्रा को केवल मराठा-कालीन विकास तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह एक कहीं अधिक प्राचीन और सतत धार्मिक परंपरा का भाग है, जिसका स्रोत स्वयं आदि शंकराचार्य के काल तक पहुँचता है। ज्योतिर्मठ परंपरा से संबंधित सामग्री यह दर्शाती है कि शंकराचार्य जी का पारंपरिक पालकी में संचलन — विशेषकर प्रमुख धार्मिक यात्राओं, संस्थागत कार्यों और पवित्र शोभायात्राओं में — दीर्घकाल से मठ की कार्यप्रणाली में निहित रहा है और सदियों से इसकी धार्मिक प्रथा का एक आवश्यक और अभिन्न अंग बना हुआ है।

यह स्थिति केवल परंपरा के भीतर तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यापालिका द्वारा स्वतंत्र रूप से भी इसकी पुष्टि होती है। 1843 ई. में लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल के (3 मूर'स् इण्डियन अपील्स में प्रतिवेदित) एक निर्णय में यह अभिलिखित है कि शृंगेरी परंपरा के शंकराचार्य विशेष अवसरों पर पारंपरिक पालकियों में यात्रा करते थे और (उक्त निर्णय में) स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि यह प्रथा स्वयं आदि शंकराचार्य से प्रारंभ हुई। उक्त निर्णय आगे यह भी स्वीकार करता है कि पारंपरिक पालकी शंकराचार्य के पद का एक विशिष्ट लक्षण है, जिससे इसके दीर्घकालीन, संस्थागत एवं अनन्य स्वरूप की पुष्टि होती है।

अतः इस प्रथा की प्रकृति को सही प्रकार से समझना आवश्यक है। शंकराचार्यों — जो आम्नाय मठों के प्रमुख हैं — के संदर्भ में पालकी; सुविधा, विशेषाधिकार या व्यक्तिगत अभिरुचि का विषय नहीं है। यह एक संस्थागत स्वरूप है। यह पीठ की गरिमा को सूचित करती है और इस सिद्धांत को मूर्त रूप देती है कि शंकराचार्य जी एक व्यक्तिगत धार्मिक व्यक्तित्व के रूप में नहीं,

बल्कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित एक शाश्वत सैद्धांतिक पीठ के जीवित प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। अतः संचलन की विधि स्वयं उस पद से अविभाज्य है।

यह संस्थागत तर्क लौकिक संवैधानिक व्यवस्था में भी बिल्कुल सादृश्य रखता है। उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों — जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री — का पारंपरिक चलाचल न तो आकस्मिक होता है और न ही विवेकाधीन। यह सुव्यवस्थित, विनियमित और संरक्षित होता है, क्योंकि वे व्यक्ति ऐसे संवैधानिक पदों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी गरिमा को सार्वजनिक जीवन में बनाए रखना आवश्यक है। ऐसे मामलों में संचलन का स्वरूप व्यक्ति का नहीं, बल्कि पद का कार्य होता है। शंकराचार्य जी की पारंपरिक पालकी यात्रा भी हिंदू धार्मिक क्षेत्र में इसी सिद्धांत पर आधारित है; यह उच्च धार्मिक पद की सत्ता, निरंतरता और संस्थागत पहचान को अभिव्यक्त करती है।

अतएव, पार्वण-पालकीयात्रा ऐतिहासिक रूप से निरंतर, सिद्धांतगत रूप से स्थापित और न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त एक धार्मिक प्रथा है। यह न तो मात्र अलंकरण है और न ही वैकल्पिक; यह उस रीति का अभिन्न अंग है जिसके माध्यम से शंकराचार्य के पद का सार्वजनिक धार्मिक जीवन में प्रदर्शन होता है। परिणामस्वरूप, इसका अवरोध, परिवर्तन या बलपूर्वक परित्याग कोई सामान्य प्रक्रियात्मक समायोजन नहीं, बल्कि गहन सभ्यतागत महत्व वाली स्थापित धार्मिक प्रथा में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है।

संवैधानिक दृष्टि से, उपर्युक्त तथ्य यह स्थापित करते हैं कि शंकराचार्य जी की पारंपरिक पालकी यात्रा धार्मिक समागमों और आयोजनों के संदर्भ में हिंदू धार्मिक प्रथा का एक अनिवार्य अंग है। इस प्रकार, यह संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करती है, जो धर्म के पालन की स्वतंत्रता का पक्का वचन देता है, तथा अनुच्छेद 26 के अंतर्गत भी, जो धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक मामलों में अपने स्वयं के प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रथा की निरंतरता, सिद्धांतगत आधार और न्यायिक मान्यता इसे संरक्षित धार्मिक गतिविधि की श्रेणी में दृढ़तापूर्वक स्थापित करते हैं, जो कि केवल

संवैधानिक रूप से अनुमेय आधारों पर ही राज्य के हस्तक्षेप के दायरे में आ सकती है।

1.4 माघ मेले को नियंत्रित करने वाली वैधानिकरूपरेखा

1.4.1 वैधानिक आधार

प्रयागराज में आयोजित माघ मेले का प्रशासन और परिचालन उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण अधिनियम, 2017 के अंतर्गत किया जाता है, जिसने कुंभ और माघ मेलों के संबंध में संयुक्त प्रांत मेला अधिनियम, 1938 का स्थान लिया है। यह अधिनियम मेला प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है और मेला क्षेत्र की योजना, विकास और प्रबंधन के संबंध में उसकी शक्तियों को परिभाषित करता है।

1.4.2 संस्थागत संरचना

मेला प्राधिकरण में पूरी तरह से शासनाधिकारी सम्मिलित हैं और इसका नेतृत्व प्रयागराज के संभागीय आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी करते हैं। वैधानिक रूपरेखा न तो हिंदू धर्मगुरुओं या पारंपरिक धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने का प्रावधान करता है, और न ही उनके साथ व्यवस्थित विचार-विमर्श अनिवार्य करता है।

यह देखते हुए कि मेला मूल रूप से स्थापित परंपराओं द्वारा संचालित एक धार्मिक समागम है, यह बहिष्करण हिंदू धर्म पर प्रहार है।

1.4.3 कार्यात्मक उत्तरदायित्व

प्राधिकरण को प्रशासनिक और सुविधा प्रदान करने संबंधी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, जिनमें नागरिक सुविधाओं का प्रावधान, आधारभूत संरचना विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य का रखरखाव और सार्वजनिक व्यवस्था एवं सुरक्षा की व्यवस्था सम्मिलित है। ये कार्य प्रबंधन संबंधी प्रकृति के हैं और इनके लिए अग्रिम योजना की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से मौनी अमावस्या जैसे व्यस्त स्नान दिवसों के लिए।

1.4.4 मेला प्राधिकरण की अधिकार-सीमाएँ तथा धार्मिक क्षेत्र

मेला प्राधिकरण की वैधानिक शक्तियाँ प्रशासनिक तथा व्यवस्था-संबंधी क्षेत्रों तक सीमित हैं और वे धार्मिक सिद्धांत, धार्मिक पद-प्रतिष्ठा अथवा पारंपरिक सम्मान-क्रम से संबंधित विषयों तक विस्तारित नहीं होतीं। प्राधिकरण को किसी धार्मिक पद की स्थिति निर्धारित करने, पारंपरिक पदानुक्रम पर प्रश्न उठाने अथवा स्थापित धार्मिक अनुष्ठान-पद्धतियों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कोई भी हस्तक्षेप धार्मिक आचरण और धार्मिक संस्थाओं के क्षेत्र में अतिक्रमण का स्वरूप धारण करता है, जिसे लौकिक राज्यसत्ता के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रहना चाहिए।

1.4.5 प्रशासन और धार्मिक संस्थानों के बीच संबंध

माघ मेले के संचालन के लिए शासनाधिकारियों और धार्मिक संस्थानों के बीच स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाओं के भीतर समन्वय आवश्यक है। सरकारी प्राधिकरण व्यवस्था और सार्वजनिक संचालन का प्रबंधन करता है; धार्मिक संस्थान, धार्मिक-संस्कार और परंपराओं संबंधी प्रथाओं का संचालन करते हैं।

जाँच की गई सामग्री से पता चलता है कि प्रशासन द्वारा मेले की तैयारी या मेला की अवधि में पारंपरिक हिंदू धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ आवश्यकताओं का पता लगाने अथवा सुस्थापित परंपराओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई सुव्यवस्थित सहभागिता नहीं की गई थी।

इस अभाव के गंभीर परिणाम और निहितार्थ हैं। यह प्रशासन की उस पद्धति को दर्शाता है जिसमें उन लोगों के सुझावों को सम्मिलित नहीं किया गया जिनकी उपस्थिति और भागीदारी इस आयोजन के धार्मिक स्वरूप के अभिन्न अंग है। हिंदू धार्मिक अधिकारियों को जानबूझकर उपेक्षित करने से माघ मेले और कुंभ मेले के मूल स्वरूप में एक चिंताजनक बदलाव आया है, जिसके तहत एक पारंपरिक धार्मिक समागम को राज्य-प्रबंधित आयोजन के रूप में संचालित किया जा रहा है, जिसमें धार्मिक संस्थाएँ न केवल गौण हो जाती हैं बल्कि प्रशासकीय तंत्र और राजनीतिक आदेशों के अधीन भी हो

जाती हैं, चाहे वे कितने भी अनुचित और हिंदू भावनाओं के लिए आपत्तिजनक क्यों न हों।

1.5 माघ मेला 2026: तात्कालिक परिवेश

माघ मेला 2026 का आयोजन बड़े पैमाने पर धार्मिक समागम के लिए उपयुक्त अग्रिम तैयारियों के साथ किया गया था, जिसमें मौनी अमावस्या (18 जनवरी 2026) को अधिकतम लोगों की भागीदारी के लिए व्यवस्थाएं सम्मिलित थीं।

जाँच से यह सिद्ध होता है कि ज्योतिर्मठ शंकराचार्य से संबंधित कार्यक्रम विशेष रूप से पारंपरिक स्नान के लिए पालकी शोभायात्रा संबंधित अधिकारियों को उचित सूचना देने के बाद ही आयोजित की गई थी। प्रशासन को सुरक्षा और समन्वय सहित सहायता हेतु पत्र भेजे गए थे। किसी भी स्तर पर मेला अधिकारियों द्वारा मौनी अमावस्या के दिन पारंपरिक पालकीयात्रा के समय या रीति पर न तो कोई आपत्ति सूचितकी गई, और न ही कोई विरोध किया।

प्रशासनिक अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि भागीदारी का पैमाना और स्वरूप सीमित था और इसकी पूर्व सूचना थी। शंकराचार्य की पारंपरिक यात्रा से संबंधित कार्यों सहित पुलिस कर्मियों को पहले से ही तैनात कर दिया गया था। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी के शिविर से निर्धारित संगम घाट तक और वापस आने वाली पदाति पालकी शोभायात्रा के लिए पुलिस एस्कॉर्ट भी तैनात किया गया था।

इस प्रकार, यह एक पूर्व नियोजित धार्मिक कार्यक्रम का सम्पादन था जो प्रशासनिक रूप से समन्वित संरचना के भीतर संचालित हो रहा था। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी ने किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाओं की माँग नहीं की और न ही पालकी शोभायात्रा के समय या उसके मार्ग में मनमाने ढंग से कोई परिवर्तन किया।

1.6. 18 जनवरी 2026 की घटनाएँ: स्थिति निर्धारण

18 जनवरी 2026 ई. (मौनी अमावस्या) को, ज्योतिर्मठ शंकराचार्य

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी गंगा स्नान के लिए एक पारंपरिक पालकी शोभायात्रा में संगम घाट की ओर रवाना हुए, जिसमें मेला क्षेत्र के भीतर उनके शिविर से निर्धारित मार्ग पर आवागमन का मार्गदर्शन करने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था।

जैसे ही शोभायात्रा निर्धारित संगमघाट क्षेत्र के पास पहुँची, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने उसे रोक दिया और शंकराचार्य जी से पालकी से उतरकर पैदल चलने को कहा। यह न केवल अपमानजनक और अनादरपूर्ण था, बल्कि शोभायात्रा की पुरानी परंपरा से भी बिल्कुल अलग था। पहले एक निर्धारित स्थान होता था जहाँ से शंकराचार्य जी अपने शिष्यों को पवित्र स्नान के लिए भेजते थे।

शंकराचार्य जी को जिस हठपूर्वक और अपमानजनक रीति से निर्धारित स्थान पर उतरने का आदेश दिया गया, उससे उनके शिष्य और भक्त तीव्र आहत और आक्रोशित हुए, उन्होंने तीव्र आपत्ति व्यक्त की और शंकराचार्य जी ने भी आदेश मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद अधिकारियों ने बल प्रयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें चोटें आईं। वेद विद्यार्थियों (वटुकों) को अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा, जिसमें शिखाओं द्वारा घसीटना और अन्य प्रतिभागियों के साथ हिरासत में लिया जाना सम्मिलित था।

इन कार्रवाइयों के कारण पारंपरिक शोभायात्रा पूरी तरह से बाधित हो गई। शंकराचार्य जी (पालकी पर) बैठे हुए थे, और कथित तौर पर पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें संगम में स्नान किए बिना ही वापस शिविर में ले जाया गया। इसके प्रतिवाद में शंकराचार्य जी अपने शिविर के बाहर (पालकी पर) ही धरने पर बैठ गए, जो माघ मेले की अवधि में 28 जनवरी 2026 के मध्याह्न तक निरंतर जारी रहा।

1.7 ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी — पृष्ठभूमि, घटनाक्रम एवं सार्वजनिक अभिमत

माघ मेला 2026 से पूर्व की अवधि में, ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने भाजपा सरकारों की कई हिंदू-विरोधी नीतियों

और कार्रवाइयों पर सार्वजनिक रूप से कड़ा विरोध जताया था। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित थे:

(i) अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में मुसलमानों को अंतर्भुक्त करने और आगम शास्त्र सिद्धांतों के कथित उल्लंघन पर आपत्ति;

(ii) काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंतर्गत अनेक प्राचीन मंदिरों और पवित्र संरचनाओं के विध्वंस के विरुद्ध विरोध, उनके अनुसार, इसने काशी के पारंपरिक पवित्र भूगोल को नष्ट-भ्रष्ट किया;

(iii) उन नीतियों की आलोचना जिन्हें गौहत्या को सक्षम बनाने और गोमांस निर्यात को बढ़ावा देने वाली माना जाता है, साथ ही (गौहत्या पर) पूर्ण प्रतिबंध और गाय को राष्ट्र माता और राज्य माता के रूप में मान्यता देने की माँग; और

(iv) हिंदू मंदिरों, धार्मिक संस्थानों और सभाओं पर राज्य और संबद्ध संगठनात्मक नियंत्रण बढ़ाने पर आपत्ति।

परिणामस्वरूप, उन (भाजपा सरकारों) की हिंदू-विरोधी नीतियों और कार्यों की ऐसी आलोचनाओं और अनावरणों ने सत्तारूढ़ भाजपा और उसके मूल संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं। ऐसे में जब कि वे ज्योतिर्मठ शंकराचार्यजी के पद पर हैं उक्त कार्यों को उजागर करके हिंदू धार्मिक हितों की रक्षा करना उनका कर्तव्य माना जाता है।

1.8 ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी की स्थिति पर सवाल उठाने वाले प्रशासनिक सूचना-पत्र

18 जनवरी 2026 को पारंपरिक पालकी शोभायात्रा में बाधा उत्पन्न होने और वेद के विद्यार्थियों (वटुकों) सहित साथ चल रहे धार्मिक व्यक्तियों के विरुद्ध बल प्रयोग किए जाने के तुरंत बाद, मेला प्रशासन ने ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामीअविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को अवेक्षा (नोटिस) जारी कर उनसे शंकराचार्य के रूप में अपनी वस्तु-स्थिति को स्थापित या सिद्ध करने की माँग की।

किसी धार्मिक प्रमुख को पारंपरिक धार्मिक संप्रदाय के अंदर अपने पद को सिद्ध करने के लिए लिखित सूचना जारी करना, इस प्रतिवेदन में जाँच की गई प्रासंगिक की कालावधि में की गई प्रशासनिक कार्रवाइयों की शृंखला का एक अंश है।

समिति इस प्रकार के सम्प्रेषण के तथ्यों, संदर्भ और समय की जाँच करेगी, साथ ही उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री के आधार पर किसी धार्मिक प्रमुख को अपना पद सिद्ध करने के लिए बाध्य करने के प्रशासन के अधिकार के प्रश्न की भी जाँच करेगी।

1.9 तत्पश्चात ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही (पॉक्सो)

18 जनवरी 2026 की घटनाओं और उसके बाद के प्रशासनिक घटनाक्रमों के अतिरिक्त, ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और अन्य के विरुद्ध 'यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012' (पॉक्सो अधिनियम) के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई। इन कार्यवाहियों की शुरुआत, 18 जनवरी 2026 की घटना जिससे उत्पन्न अशांति और शंकराचार्य का विरोध प्रदर्शन चल रहा था उसी अवधि के मध्य की गई।

इस अवधि में निरंतर प्रशासनिक उपस्थिति से युक्त, पुलिस की तैनाती और ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी की व्यापक मीडिया कवरेज देखने को मिली। इस तरह के आरोपों के सामने आने और उन पर कार्रवाई किए जाने की परिस्थितियाँ, कड़ी पर्यवेक्षण वाली स्थिति के बीच, इस जाँच में सम्मिलित व्यापक घटनाक्रम का हिस्सा हैं।

इस संबंध में समिति की जाँच उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर इन कार्यवाहियों के क्रम और समय निर्धारण तक ही सीमित है। यह आरोपों की वैधता पर कोई निर्णय नहीं देती है, जिसका निर्धारण सक्षम न्यायालयों द्वारा किया जाना है।

2. समिति का गठन और तथ्य-अन्वेषण की परिधि

18 जनवरी 2026 को प्रयागराज के माघ मेले में हुई घटनाओं तथा उसके बाद के घटनाक्रमों ने व्यापक सार्वजनिक चिंता उत्पन्न की और घटना के क्रम तथा परिस्थितियों को लेकर विभिन्न विरोधाभासी विवरण सामने आए।

घटना की गंभीरता — विशेषकर पारंपरिक धार्मिक यात्रा में अवरोध, प्रतिभागियों के विरुद्ध बल प्रयोग, और एक प्रमुख धार्मिक परंपरा के बाधित होने — पर भी, न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार द्वारा किसी न्यायिक या वैधानिक आयोग का गठन किया गया।

इस आधिकारिक जाँच के अभाव ने सार्वजनिक क्षेत्र में एक शून्य उत्पन्न कर दिया। स्वतंत्र रूप से परीक्षण किए गए तथ्यात्मक अभिलेख के अभाव में, विभिन्न विरोधी विवरण अप्रमाणित रह गये, जिससे एक सुव्यवस्थित और साक्ष्य-आधारित जाँच की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी तथा उनके प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा, धार्मिक पद की गरिमा, तथा प्रशासन और पुलिस के आचरण के संबंध में गंभीर चिंताएँ सार्वजनिक रूप से व्यक्त की गईं।

ये चिंताएँ केवल व्यक्तिगत नहीं थीं, बल्कि व्यापक मुद्दों को दर्शाती थीं जो शासकीय प्राधिकारियों और पारंपरिक धार्मिक नेतृत्व के बीच संबंध से संबंधित हैं।

विशेष रूप से निम्नलिखित आरोप लगाए गए:

(i) प्रशासन और पुलिस ने पारंपरिक पालकी यात्रा में हस्तक्षेप किया;

(ii) स्थापित धार्मिक औपचारिक मर्यादा की अवहेलना की गई;

(iii) शंकराचार्य जी के साथ चल रहे शिष्यों और भक्तों के विरुद्ध बल प्रयोग किया गया।

माघ मेले के व्यापक स्वरूप और धार्मिक महत्त्व की पृष्ठभूमि में इन आरोपों ने केवल तत्कालीन घटना तक सीमित न रहकर धार्मिक आचरण के विषयों में प्रशासनिक अधिकार की सीमाओं सहित अनेक गंभीर प्रश्न उत्पन्न किए।

इन परिस्थितियों में निम्नलिखित सदस्यों से युक्त एक स्वतंत्र तथ्यान्वेषण समिति ने नागरिक समाज की पहल के रूप में यह जाँच सम्पन्न की।

(i) श्री एम. नागेश्वर राव, आईपीएस (सेवानिवृत्त), पूर्व निदेशक, सीबीआई
(ii) प्रो. मधु किश्वर, संस्थापक, मानुषी; पूर्व वरिष्ठ फेलो, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़
(iii) श्रीमती ऋतु राठौर, सामाजिक कार्यकर्ता

समिति विधि द्वारा स्थापित अथवा शासकीय संस्था नहीं है। यह न्यायिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करती और न्यायालयीय प्रक्रियाओं का स्थानापन्न नहीं है। तथापि, इसके निष्कर्ष उपलब्ध सामग्री के स्वतंत्र परीक्षण पर आधारित हैं और घटनाओं का सुसंगत तथा साक्ष्य-आधारित विवरण स्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं।

समिति ने निम्नलिखित कार्य करने का दायित्व ग्रहण किया:

(i) 18 जनवरी 2026 की घटनाओं और उसके बाद के घटनाक्रमों का पुनर्निर्माण करना;
(ii) दस्तावेज़ी, साक्ष्यात्मक, चिकित्सीय तथा दृश्य-श्रव्य सामग्री का परीक्षण करना;
(iii) प्रशासनिक, पुलिस तथा अन्य संबंधित पक्षों के आचरण का मूल्यांकन करना;
(iv) पश्चातवर्ती विधिक और प्रशासनिक कार्रवाइयों को समग्र घटनाक्रम के संदर्भ में स्थापित करना;

(v) प्रशासनिक प्राधिकरणों की उस क्षमता और अधिकार क्षेत्र का परीक्षण करना जिसके अंतर्गत उन्होंने शंकराचार्य जी से उनके पद को सिद्ध करने के लिए अवेक्षा (नोटिस) जारी किए;

(vi) प्रशासनिक प्राधिकरण और स्थापित धार्मिक परंपराओं के बीच उत्पन्न मुद्दों की पहचान करना;

(vii) यह जाँच करना कि क्या ये घटनाएँ राज्य प्राधिकरणों और हिंदू धार्मिक संस्थाओं के बीच संबंधों में किसी व्यापक संरचनात्मक या प्रणालीगत समस्या को दर्शाती हैं;

(viii) ऐसे अंतर्संबंधों को नियंत्रित करने वाले वर्तमान विधिक और प्रशासनिक संरचना का परीक्षण करना; तथा

(ix) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और संवैधानिक संतुलन सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त संस्थागत, विधिक और प्रशासनिक उपायों की अनुशंसा करना।

समिति का उद्देश्य तथ्य-संग्रह और विश्लेषण है। यह आपराधिक दायित्व का निर्धारण नहीं करती, जो कि सक्षम न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, जहाँ प्रस्तुत सामग्री ऐसे आचरण को उजागर करती है जो गंभीर विधिक या संस्थागत चिंताएँ उत्पन्न करता है, वहाँ समिति ऐसे निष्कर्षों को प्रथम दृष्टया आधार पर अभिलिखित करती है।

इसके अतिरिक्त, जहाँ सामग्री व्यापक संरचनात्मक, संस्थागत या तंत्रगत मुद्दों को प्रकट करती है, वहाँ समिति ने ऐसे मुद्दों का परीक्षण लागू विधिक और संवैधानिक सिद्धांतों के आलोक में किया है, और उसी संरचना के भीतर उपयुक्त टिप्पणियाँ और सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।

3. कार्यप्रणाली एवं साक्ष्याधार

समिति ने सत्यापन और पुष्टिकरण पर आधारित एक साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाया। वैधानिक शक्तियों के अभाव में, जाँच स्वैच्छिक सहयोग, स्थलपर सत्यापन तथा उपलब्ध सामग्री के मूल्यांकन के आधार पर आगे बढ़ी। निष्कर्ष पृथक कथनों पर नहीं, बल्कि विभिन्न स्रोतों के प्रति-सत्यापन पर आधारित हैं।

3.1 घटनास्थलीय अन्वेषण

समिति ने प्रयागराज तथा वाराणसी का क्षेत्रीय दौरा किया।

प्रयागराज में, समिति नेः

(i) माघ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया, जिसमें शोभायात्रा का मार्ग तथा अवरोध के बिंदु अंतर्भुक्त थे;

(ii) शंकराचार्य के शिविर की संरचना तथा संगम तक पहुँचने के मार्गों का परीक्षण किया;

(iii) स्थल पर या उसके निकट उपस्थित व्यक्तियों, जिनमें पत्रकार भी अंतर्भुक्त थे, से संवाद किया; तथा

(iv) घटना से संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया।

बार-बार प्रयासों के होते हुए भी कोई अधिकारी संवाद के लिए सहमत नहीं हुआ।

वाराणसी में, समिति नेः

(i) ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी, उनके साथ चल रहे व्यक्तियों, शिष्यों तथा वेद विद्यार्थियों (वटुकों) से भेंट की;

(ii) उनके कार्यालय से प्रलेखीय सामग्री प्राप्त की; तथा

(iii) प्राप्त चोटों से संबंधित चिकित्सीय अभिलेखों का परीक्षण किया।

इन दौरों से भौतिक स्थानों, गवाही-आधारित विवरणों तथा प्रलेखीय सामग्री के बीच समन्वय स्थापित करना संभव हुआ।

3.2 मौखिक साक्ष्य

समिति ने निम्नलिखित केकथन दर्ज किए:

(i) शंकराचार्य जी तथा शोभायात्रा की कालावधि उनके साथ उपस्थित व्यक्ति;

(ii) घटनाओं से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति; तथा

(iii) स्वतंत्र पर्यवेक्षक, जिनमें स्थल पर उपस्थित पत्रकार अंतर्भुक्त थे।

इनमौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित बिंदुओं को संबोधित किया गया:

(i) शोभायात्रा का आरंभ और उसकी प्रगति;

(ii) अवरोध का बिंदु और उसका स्वरूप;

(iii) पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद;

(iv) बल के प्रयोग तथा प्रतिभागियों के साथ व्यवहार; तथा

(v) अनुष्ठानिक स्नान में उत्पन्न व्यवधान।

जहाँ संभव हुआ, सटीकता बनाए रखने और भविष्य में विवाद को न्यूनतम करने के लिए बयानों का वीडियो-रिकॉर्डिंग किया गया।

साक्ष्यात्मक गवाही का मूल्यांकन आंतरिक सुसंगतता, स्वतंत्र स्रोतों के बीच सामंजस्य तथा प्रलेखीय, चिकित्सीय और दृश्य-श्रव्य सामग्री के साथ पुष्टिकरण के आधार पर किया गया। कुछ संभावित गवाहों, जिनमें पत्रकार भी अंतर्भुक्त थे, ने वक्तव्य देने से इनकार किया, जिसे ध्यान में रखा गया है।

3.3 प्रलेखीय साक्ष्य

समिति ने 18 जनवरी 2026 से पूर्व और पश्चात की कालावधि से संबंधित प्रलेखीय सामग्री का परीक्षण किया। इसमें अंतर्भुक्त हैं:

(i) प्रस्तावित कार्यक्रमों, अनुष्ठानिक स्नान हेतु आवागमन तथा सुरक्षा एवं सुविधा के अनुरोधों के संबंध में प्रशासन को भेजे गए संदेश ;

(ii) 18 जनवरी 2026 ई. को और उसके पश्चात जारी प्रशासनिक अवेक्षा (नोटिस), जिनमें अनधिकृत आवागमन के आरोप तथा शंकराचार्य से उनकी स्थिति स्थापित करने के आग्रह अंतर्भुक्त हैं;

(iii) शंकराचार्य की ओर से प्रस्तुत प्रत्युत्तर एवं अभ्यावेदन;

(iv) शिविर व्यवस्था तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुपालन से संबंधित अभिलेख;

(v) आवागमन मार्गों और नियंत्रण बिंदुओं से संबंधित विन्यास/व्यवस्थायोजनाएँ एवं स्थानिक दस्तावेज;

(vi) पश्चातवर्ती विधिक कार्यवाहियों से संबंधित दस्तावेज, जिनमें प्राथमिकी, आवेदन तथा न्यायालयीय आदेश अंतर्भुक्त हैं;

(vii) समकालीन संचार साधनों द्वारा समाचार प्रेषण (मीडिया रिपोर्ट) तथा अधिकारियों और धार्मिक व्यक्तियों के सार्वजनिक वक्तव्य;

(viii) मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सार्वजनिक रूप से प्रकाशित वक्तव्य, जिनमें शंकराचार्य के पद पर प्रश्न उठाया गया और उन्हें 'कालनेमि' कहा गया; तथा

(ix) उपमुख्यमंत्री के सार्वजनिक रूप से प्रकाशित वक्तव्य, जिनमें कदाचार को स्वीकार करते हुए उत्तरदायित्व की माँग की गई।

यह सामग्री प्रशासनिक स्थिति, घटनाक्रम की श्रृंखला तथा समकालीन सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं को स्थापित करती है।

3.4 चिकित्सीय साक्ष्य

18 जनवरी 2026 की घटनाओं की कालावधि में घायल हुए व्यक्तियों से संबंधित चिकित्सीय अभिलेखों का परीक्षण किया गया। इन अभिलेखों में निम्नलिखित का विवरण है:

(i) प्राप्त शारीरिक चोटें;

(ii) चिकित्सीय परीक्षण और उपचार; तथा

(iii) बल प्रयोग की वर्णित घटनाओं के अनुरूप समय-निर्धारण।

चिकित्सीय साक्ष्य पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए शारीरिक हस्तक्षेप की स्वतंत्र पुष्टि प्रदान करते हैं तथा साक्ष्यात्मक साक्ष्य का समर्थन करते हैं।

3.5 दृश्य-श्रव्य साक्ष्य

समिति ने उपलब्ध वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफिक सामग्री का परीक्षण किया, जो निम्नलिखित से संबंधित थी:

(i) शोभायात्रा की गति;

(ii) अवरोध के बिंदु;

(iii) प्रतिभागियों और पुलिस के बीच अंतःक्रिया; तथा

(iv) बल प्रयोग और उसके तत्काल परिणाम।

इस सामग्री का उपयोग साक्ष्यात्मक कथन की पुष्टि करने तथा घटनाक्रम, आचरण और हस्तक्षेप की गहनता स्थापित करने के लिए किया गया।

3.6 प्राधिकारियों और पत्रकारों से संपर्क

समिति ने संबंधित प्राधिकरणों का पक्ष प्राप्त करने तथा उन्हें अपनी स्थिति प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए बार-बार प्रयास किए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, पुलिस आयुक्त, जिलाधीश, मेला प्रशासक तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को ईमेल और प्रसारण मंचों के माध्यम से संपर्क किया गया और संवाद के लिए उपयुक्त समय का अनुरोध किया गया। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

समिति ने उन पत्रकारों से भी संवाद स्थापित करने का प्रयास किया जिन्होंने घटना पर समाचार प्रेषण (रिपोर्टिंग) किया था। कई ने वक्तव्य देने में अनिच्छा व्यक्त की, जिसे प्रतिकूल परिणामों की आशंका के कारण समझा जाता है।

इन सभी कारकों को सामग्री के मूल्यांकन में ध्यान में रखा गया है।

3.7 पश्चातवर्ती घटनाक्रम

समिति ने 18 जनवरी 2026 के बाद हुए घटनाक्रम से संबंधित सामग्री का परीक्षण किया, जिसमें अंतर्भुक्त हैं:

(i) घटना के पश्चात किए गए अभ्यावेदन और संदेश;

(ii) शंकराचार्य द्वारा किया गया प्रतिवाद;

(iii) आपराधिक कार्यवाहियों से संबंधित दस्तावेज, जिनमें प्राथमिकी,न्यायालय में दायर अभिलेख तथा आदेश अंतर्भुक्त हैं; और

(iv) न्यायिक कार्यवाहियों में प्रस्तुत शपथपत्र और सहायक सामग्री।

इन सामग्रियों का परीक्षण केवल घटनाओं के क्रम, समय-निर्धारण और प्रतिरूप को स्थापित करने के सीमित उद्देश्य से किया गया, बिना उनके गुण-दोष का निर्णय किए।

3.8 विश्लेषणात्मक रूपरेखा

समिति ने त्रिकोणीय करण पर आधारित विधि अपनाई। निष्कर्ष निम्नलिखित पर आधारित हैं:

(i) साक्ष्यात्मक कथन का परस्पर सामंजस्य;

(ii) साक्ष्यात्मक, प्रलेखीय, चिकित्सीय और दृश्य-श्रव्य साक्ष्यों के बीच सुसंगतता; तथा

(iii) घटनाओं की कालानुक्रमिक संगति।

3.9 सीमाएँ और बाधाएँ

जाँच निम्नलिखित पहचानी गई सीमाओं के अंतर्गत की गई:

(i) आधिकारिक प्राधिकारियों से सहयोग का अभाव;

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध न होने वाले आंतरिक सरकारी अभिलेखों तक पहुँच का अभाव;

(iii) कुछ साक्षियों, जिनमें पत्रकार भी अंतर्भुक्त हैं, द्वारा प्रतिकूल परिणामों की आशंका के कारण वक्तव्य देने में अनिच्छा; तथा

(iv) समिति का गैर-वैधानिक स्वरूप, जिससे साक्ष्य प्रस्तुत कराने की उसकी क्षमता सीमित रही।

इन सीमाओं को ध्यान में रखा गया है, परंतु ये परीक्षण की गई सामग्री की सुसंगतता और पुष्टिकरणात्मक शक्ति को कम नहीं करतीं।

3.10 साक्ष्य का परीक्षण और संरक्षण

समिति ने व्यापक प्रकार की सामग्री का परीक्षण किया, जिसमें मौखिक साक्ष्य, प्रलेखीय साक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य, दृश्य-श्रव्य सामग्री, समाचार प्रतिवेदन तथा प्रशासनिक, पुलिस और राजनीतिक पदाधिकारियों के सार्वजनिक वक्तव्य अंतर्भुक्त हैं। समस्त सामग्री का विश्लेषण और प्रति सत्यापन किया गया, तथा जिस साक्ष्य सामग्री पर भरोसा किया गया है, उसे विधिवत संरक्षित किया गया है।

4. विश्लेषण और निष्कर्ष

4.1 माघ मेला घटनाः अवैध अवरोध और बल का प्रयोग

4.1.1 पृष्ठभूमि और शोभायात्रा

18 जनवरी 2026 (मौनी अमावस्या) को ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने अपने शिविर से माघ मेला क्षेत्र में स्थित संगम की ओर पवित्र गंगा स्नान हेतु पारंपरिक पालकी शोभायात्रा में प्रस्थान किया। शंकराचार्य जी एक पारंपरिक पालकी में विराजमान थे, जिसे भक्तों, शिष्यों तथा वेद विद्यार्थियों (वटुकों) द्वारा वहन किया जा रहा था। यह शोभायात्रा सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित थी और पूर्व नियोजन एवं प्रशासन के साथ समन्वय के अनुसार लगभग प्रातः 9:00 बजे प्रारंभ हुई।

परीक्षित सामग्री से सिद्ध होता है कि प्रशासन को प्रस्तावित आवागमन की पूर्व जानकारी थी और उसने एक निर्धारित समूह के साथ शोभायात्रा की अनुमति हेतु आंतरिक स्वीकृतियाँ प्रदान की थीं। संगम स्नान की सुविधा हेतु पुलिस कर्मियों को विशेष रूप से नियुक्त किया गया था। इस उद्देश्य से नामित एक पुलिस अधिकारी पुलिस बल सहित शिविर पर पहुँचा और शोभायात्रा के रक्षार्थ उसके अग्रभाग में चलकर सुरक्षा प्रदान करने लगा।

शोभायात्रा का निर्धारित मार्ग गंगा के पूर्वी तट (गंगा-पार) से, जहाँ शिविर स्थित था, पश्चिमी तट पर स्थित संगम तक जाने का था, जिसके लिए निर्धारित प्रवेश बिंदुओं से नदी पार करनी आवश्यक थी।

पुलिस कर्मी शोभायात्रा के अग्रभाग में चल रहे थे और उसके मार्गदर्शन का कार्य कर रहे थे। इस समन्वय का प्रमाण पहचान उपायों से भी मिलता है। भीड़ के बीच स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने हेतु, अनुरक्षण (एस्कॉर्ट) कर रहे पुलिस कर्मियों को शंकराचार्य जी के साथ चल रहेदल द्वारा

पीले दुपट्टे प्रदान किए गए, जो शोभायात्रा के सदस्यों द्वारा भी उपयोग किए जा रहे थे। अनुरक्षण कर रहे पुलिस कर्मियों ने इन्हें धारण किया, जिससे वे सुविधा प्रदान करने वाली इकाई के रूप में पहचाने जा सके।

इस चरण में स्थिति एक पूर्व नियोजित, समन्वित एवं प्रशासन द्वारा सुगम बनाई गई धार्मिक शोभायात्रा की थी, जो सुव्यवस्थित रूप से संगम की ओर अग्रसर थी।

4.1.2 शोभायात्रा का अवरोध

पूर्व सुविधा के तथापि, जब शोभायात्रा पर्याप्त दूरी तय कर चुकी थी और संगम के निकट पहुँच रही थी, तब वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों — जिनमें प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट, मेला प्रशासक, पुलिस आयुक्त तथा अन्य अधिकारी अंतर्भुक्त थे — ने हस्तक्षेप करते हुए शोभायात्रा को रोक दिया।

परीक्षित सामग्री से यह स्थापित होता है कि शोभायात्रा लगभग 2 किलोमीटर तक निर्बाध रूप से पुलिस अनुरक्षक दल के साथ चली थी और अनुष्ठानिक स्नान हेतु निर्धारित क्षेत्र के निकट पहुँच चुकी थी। इस स्थान तक शोभायात्रा को पुलिस अनुरक्षण में सभी अवरोधों (बैरिकेडों) एवं जाँच चौकियों से होकर आगे बढ़ने दिया गया था। इसी अंतिम चरण में निर्देश दिया गया कि ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी पालकी से उतरकर पैदल चलें। ऐसा कोई प्रतिबंध प्रारंभ या मार्ग के किसी पूर्व चरण में नहीं बताया गया था।

शोभायात्रा की पालकी मात्र आवागमन का साधन नहीं, बल्कि इस प्रकार की शोभायात्राओं का परिचालन करने वाले सुस्थापित धार्मिक विधि-विधान का एक अभिन्न अंग है, और इस स्तर पर उसका अवरोध धार्मिक रीति-रिवाज के स्वरूप को परिवर्तित करता है।

यह निर्देश इस आधार पर दिया गया कि उस बिंदु के आगे मोटर वाहन की अनुमति नहीं है। यह आधार तथ्यात्मक रूप से असंगत एवं स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि पालकी मोटर वाहन नहीं है। अतः उतरने का आग्रह

अनुचित एवं असंगत था।

निर्देश आदेशात्मक एवं अपमानजनक विधि से दिया गया, जैसा कि वीडियो रिकॉर्डिंग और साक्ष्यात्मक कथन से स्पष्ट है। इस पर शिष्यों, वटुकों और भक्तों ने तत्काल आपत्ति जताई। अधिकारियों ने न केवल निर्देश दिया बल्कि पालकी की आगे बढ़ने की शारीरिक बाधा से रोकथाम भी की, जिससे शोभायात्रा पूर्णतः अवरुद्ध हो गई।

ऐसा कोई तत्काल कारण नहीं था जो इस हस्तक्षेप को आवश्यक ठहराए। शोभायात्रा सीमित, नियंत्रित एवं सुव्यवस्थित थी। भीड़ का जमाव केवल अवरोध के बाद उत्पन्न हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि अवरोध मनमाना था और सदाशयता का अभाव था।

4.1.3 भगदड़-आशंका के औचित्य का परीक्षण

प्रथम, शोभायात्रा पूर्व-नियोजित थी और प्रशासन को इसकी जानकारी थी, तथा यह उसी अवसर पर अन्य शोभायात्राओं या श्रद्धालुओं की गतिविधियों से किसी भी महत्वपूर्ण दृष्टि से भिन्न नहीं थी। यदि वास्तविक भगदड़ की आशंका होती, तो प्रारंभ में ही उपयुक्त प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए थे। ऐसा कोई प्रतिबंध न तो प्रारंभ में बताया गया और न ही शोभायात्रा के प्रारंभिक चरणों में लागू किया गया।

द्वितीय, शोभायात्रा मार्ग का एक बड़ा हिस्सा पार कर चुकी थी और बिना किसी घटना के संगम के निकट पहुँच गई थी। प्रतिभागियों की संख्या सीमित थी और संचलन सुव्यवस्थित था।

तृतीय, समिति द्वारा परीक्षण की गई सामग्री उस समय किसी आपात या असाधारण स्थिति का संकेत नहीं देती। घबराहट, अनियंत्रित भीड़, अत्यधिक भीड़-भाड़ या भगदड़ से संबंधित किसी भी सामान्य परिस्थिति का कोई प्रमाण नहीं है। मार्ग, जिसमें खुले नदी तट तक जाने वाले क्षेत्र भी अंतर्भुक्त हैं, पर्याप्त रूप से सुलभ था और सामान्य जन-आवागमन में किसी अवरोध का संकेत नहीं देता।

चतुर्थ, भीड़ का जमाव, यदि हुआ भी, तो वह केवल शोभायात्रा को रोके जाने और उसके पश्चात उत्पन्न विवाद के बाद हुआ प्रतीत होता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि स्थिति, यदि तीव्र हुई भी, तो वह हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप हुई।

पंचम, यह मान भी लिया जाए कि भीड़ प्रबंधन की कोई चिंता थी, तब भी अपनाया गया उपाय — अंतिम चरण में अचानक अवरोध और उतरने का निर्देश — असंगत और अनुपातहीन था तथा स्थापित भीड़ नियंत्रण सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था। कम हस्तक्षेपकारी और अधिक उपयुक्त नियामक उपायों पर न तो विचार किया गया और न ही उन्हें लागू किया गया।

षष्ठ, सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध सामग्री से यह संकेत मिलता है कि अन्य धार्मिक व्यक्तियों, जिनमें सतुआ बाबा उर्फ संतोषदास ब्रह्मचारी जी भी अंतर्भुक्त हैं, संगम के निकट क्षेत्रों तक मोटर वाहनों से पहुँचे। यद्यपि समिति बिना सत्यापित प्रमाण के इस सामग्री पर निर्भर नहीं करती, तथापि इसका अस्तित्व इस बात को रेखांकित करता है कि प्रशासन और पुलिस को अपने प्रवर्तन की एकरूपता और सुसंगतता स्पष्ट करनी चाहिए।

इन परिस्थितियों में, भगदड़ के आशंका का औचित्य समकालीन सामग्री से समर्थित नहीं है और यह पश्चात प्रस्तुत औचित्य प्रतीत होता है।

4.1.4 बल प्रयोग पर विधिक स्थिति

इस संदर्भ में विधिक स्थिति स्पष्ट है। पुलिस केवल सीमित परिस्थितियों में ही बल का प्रयोग कर सकती है:

(i) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 148 (पूर्व में अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 129) के अंतर्गत अवैध जमाव को तितर-बितर करने हेतु;

(ii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 43 (पूर्व में अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 46) के अंतर्गत वैध गिरफ्तारी करते समय, जब प्रतिरोध किया जा रहा हो;

(iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 168 (पूर्व में अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 149) के अंतर्गत किसी संज्ञेय अपराध के होने से रोकने हेतु।

इनमें से कोई भी स्थिति विद्यमान नहीं थी। शोभायात्रा शांतिपूर्ण थी, अनुमतिप्राप्त थी, और स्वयं पुलिस द्वारा एस्कॉर्ट की जा रही थी। न तो किसी अवैध जमाव की घोषणा की गई थी, न ही गिरफ्तारी की कोई स्थिति उत्पन्न हुई थी, और न ही कोई संज्ञेय अपराध किया जा रहा था या आसन्न था।

4.1.5 बल प्रयोग और उसके परिणाम

विधिक औचित्य के पूर्ण अभाव के होते हुए भीपुलिस ने बिना किसी उकसावे के बल प्रयोग किया।

भक्तों और प्रतिभागियों पर आक्रमण किया गया। वेद विद्यार्थियों (वटुकों) को उनकी शिखाओं से घसीटा गया, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया तथा उन्हें हिरासत में लिया गया। संपूर्ण स्थिति पुलिस और प्रशासन की कार्रवाइयों के कारण अराजकता में परिवर्तित हो गई।

चिकित्सीय अभिलेख चोटों की पुष्टि करते हैं। यह बल प्रयोग पूर्णतः अवैध था और इससे प्रथम दृष्टया विभिन्न अपराधों का संकेत मिलता है।

यह बल प्रयोग पूर्णतः अवैध था। पुलिस और प्रशासनिक कर्मियों द्वारा किए गए कृत्य प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराधों के घटित होने को दर्शाते हैं, जिनमें अवैध निरोध, चोट पहुँचाना (साधारण एवं गंभीर दोनों), प्रहार, जानबूझकर अपमान करना तथा धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और द्वेषपूर्वक आहत करना, आदि अंतर्भुक्त हैं।

4.1.6 धार्मिक अनुष्ठान में व्यवधान

अवैध बल प्रयोग का प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि पारंपरिक शोभायात्रा को रोक दिया गया और शंकराचार्य जी को संगम तक पहुँचकर शुभ मौनी अमावस्या के अवसर पर निर्धारित पवित्र गंगा स्नान करने से वंचित कर दिया गया।

इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप एक शांतिपूर्ण और पवित्र धार्मिक संस्कार पूर्णतः नष्ट-भ्रष्ट हुआ।शंकराचार्य जी को पालकी सहित, जिसमें वे विराजमान थे, सादे वेश में पुलिस कर्मियों द्वारा शिविर के द्वार तक वापस ले जाया गया।

4.1.7 पश्चातवर्ती घटनाएँ और विरोध

शिविर के द्वार तक वापस लाए जाने के पश्चात, जब उनके भक्तों और शिष्यों पर प्रहार किया जा चुका था, उन्हें निरुद्ध कर लिया गया था तथा वेद विद्यार्थियों (वटुकों) का अपमान किया गया था, तब ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी ने 18 जनवरी 2026 को अपने शिविर के बाहर निरंतर प्रतिवाद आरम्भ किया, जो 28 जनवरी 2026 तक जारी रहा। उन्होंने घोषणा की कि प्रतिवादस्वरूप वे शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे, अपितु निरंतर शिविर के बाहर खुले में ही पालकी स्थित रहेंगे।

यह प्रतिवाद इस अपेक्षा से किया गया था कि प्रशासन अपनी त्रुटि को स्वीकार करेगा और सुधारात्मक उपाय करेगा। तथापि, ऐसा कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया, और न ही शासन ने अपने अधिकारियों के अविधिसम्मत आचरण के प्रति किंचित् भी पश्चात्ताप व्यक्त किया।

इसके विपरीत, प्रशासन ने शंकराचार्य जी को सूचना-पत्र जारी कर उनसे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के रूप में अपनी पदस्थिति सिद्ध करने को कहा। यह धार्मिक परंपरा और धार्मिक प्राधिकार के विषयों में लौकिक प्राधिकारियों द्वारा किया गया स्पष्ट अतिक्रमण था। राज्य और धर्म के पृथक्करण पर आधारित संवैधानिक व्यवस्था में प्रशासन को ऐसे धार्मिक पद की स्थिति निर्धारित करने अथवा उस पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है।

4.1.8 समग्र घटनाक्रम का मूल्यांकन

घटनाओं का क्रम — पूर्व जानकारी और सुविधा प्रदान करना, असंगत आधारों पर अचानक अवरोध, अवैध बल प्रयोग और प्रहार, धार्मिक

अनुष्ठान में व्यवधान, प्रतिभागियों का अपमान, तथा तत्पश्चात शंकराचार्य जी की धार्मिक पद पर प्रश्न उठाते हुए प्रशासनिक अतिक्रमण — एक सुसंगत और संगठित प्रतिरूप प्रस्तुत करता है।

यह प्रतिरूप किसी आकस्मिक या स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया के रूप में नहीं समझाया जा सकता। पूर्व में प्रदान की गई सुविधा और उसके बाद किए गए अवरोध के बीच की आंतरिक असंगति, तथा उस समय किसी समकालीन औचित्य के अभाव के साथ मिलकर यह संकेत देती है कि यह आचरण मात्र संयोगवश नहीं था।

4.1.9 निष्कर्ष

समिति का निष्कर्ष है कि यह शोभायात्रा एक पारंपरिक एवं पूर्व-अनुमतिप्राप्त धार्मिक गतिविधि थी, जिसकी जानकारी प्रशासन को थी और जिसे प्रशासन द्वारा सुगम भी बनाया गया था। इसके पश्चात किया गया अवरोध मनमाना था और किसी वैध आधार से समर्थित नहीं था। पुलिस कर्मियों द्वारा किया गया बल प्रयोग विधिक औचित्य से रहित था, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभागियों पर प्रहार हुआ, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया तथा निर्धारित धार्मिक संस्कार पूर्णतः नष्ट-भ्रष्ट हुआ। शंकराचार्य जी से अपने पद को सिद्ध करने की अपेक्षा करते हुए सूचना-पत्र(नोटिस) जारी करना धार्मिक मामलों में प्रशासनिक अतिक्रमण को दर्शाता है। कुल मिलाकर, 18 जनवरी 2026 की घटनाएँ पारंपरिक धार्मिक आचरण में अवैध हस्तक्षेप के साथ राज्य शक्ति के गंभीर दुरुपयोग को प्रतिबिंबित करती हैं।

4.2 POCSO कार्यवाहीः प्रक्रिया का दुरुपयोग

4.2.1 संदर्भ और पृष्ठभूमि

ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के विरुद्ध 'बालकों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012' (पॉक्सो अधिनियम) के अंतर्गत कार्यवाही का प्रारंभ किसी पृथक घटना के रूप में नहीं हुआ, बल्कि

यह 18 जनवरी 2026 की घटनाओं तथा उसके पश्चात किए गए अभियोगकर्ता के उपरांत विकसित घटनाक्रमों की श्रृंखला का एक अंग है। अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री, जब उसके पूर्ण क्रम और संदर्भ में परीक्षण की जाती है, तब वह आपराधिक प्रक्रिया की निष्पक्षता तथा उसके संभावित ऐसे उपयोग के संबंध में गंभीर प्रश्न उत्पन्न करती है, जो स्थापित विधिक सिद्धांतों के अनुरूप प्रतीत नहीं होता। निम्नलिखित विश्लेषण इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में परिवादी की भूमिका, पुलिस के आचरण तथा राज्य की कार्रवाइयों का परीक्षण करता है।

4.2.2 अभियोगकर्ता की भूमिका और पूर्व निशाना

अभियोगकर्ता, आशुतोष पांडे उर्फ ब्रह्मचारी, को उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के कांधला थाने में हिस्ट्रीशीटर (संख्या 76A) बताया गया है, जिसके विरुद्ध अनेक आपराधिक मामले दर्ज हैं। कथित तौर पर उनका संबंध स्वामी रामभद्राचार्य जी से है, जिन्होंने ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के सत्ताधारी वर्ग की कथित हिंदू-विरोधी नीतियों दृष्टिकोण को लेकर सार्वजनिक रूप से आलोचना की है।

अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री से संकेत मिलता है कि अभियोगकर्ता ने पूर्व में सार्वजनिक रूप से ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी को लक्ष्य किया था तथा वर्तमान मामले की शुरुआत से पहले उन्हें विधिक कार्यवाही में फँसाने की धमकियाँ भी दी थीं। यह पृष्ठभूमि उन परिस्थितियों और घटनाक्रम के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण है, जिनके अंतर्गत बाद में आरोप उत्पन्न हुए।

4.2.3 प्रारंभिक अभियोग और पश्चातवर्ती तनाव

18 जनवरी 2026 की संध्या को, अभियोगकर्ता ने यह आरोप लगाते हुए अभियोग दर्ज कराई कि शंकराचार्य जी तथा अन्य व्यक्तियों ने उसकी हत्या का प्रयास किया। आरोपों में शारीरिक आक्रमण तथा शंकराचार्य जी के शिविर के निकट उसका गला घोंटने का प्रयास अंतर्भुक्त था।

इन आरोपों की गंभीरता के तथापि, उस चरण पर कोई प्राथमिकी दर्ज

नहीं की गई। उपलब्ध सामग्री से संकेत मिलता है कि संबंधित स्थान सी.सी. टी. वी. पर्यवेक्षण में था, और उपलब्ध फुटेज से इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

इसके पश्चात, 28 जनवरी 2026 को, उसी अभियोगकर्ता ने 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012' (पॉक्सो) के अंतर्गत विशेष न्यायालय का रुख करते हुए आरोप लगाया कि शंकराचार्य से संबद्ध बताए गए नाबालिग वेद विद्यार्थियों के विरुद्ध यौन अपराध किए गए हैं। प्रारंभिक प्रहार के आरोप से लेकर अल्प अवधि में (पॉक्सो) अधिनियम के अंतर्गत गंभीर आरोपों तक पहुँचना, उस घटनाक्रम का हिस्सा है जिसकी समीक्षा अपेक्षित है।

4.2.4 विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही और पुलिस का आचरण

जब मामला 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012' (पॉक्सो) के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तब न्यायालय ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की। वही पुलिस अधिकारी, जिन्होंने प्रारंभिक चरण में प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी, बाद में एक ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह संकेत दिया गया कि प्रथम दृष्टया अपराध प्रकट होते हैं। इसी आधार पर विशेष न्यायालय ने एफ.आई.आर. दर्ज करने का निर्देश दिया।

यह घटनाक्रम पुलिस के आचरण में स्पष्ट असंगति को दर्शाता है। यदि प्रारंभिक चरण में आरोपों को विश्वसनीय माना गया था, तो पुलिस पर विधिक दायित्व था कि वह एफ.आई.आर. दर्ज करे। यदि उन्हें विश्वसनीय नहीं माना गया था, तो बाद में न्यायालय के समक्ष उन्हीं आरोपों का समर्थन करना समान रूप से असंगत है। दोनों स्थितियाँ एक साथ टिक नहीं सकतीं।

4.2.5 आरोपों की प्रकृति और प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ

उपलब्ध सामग्री इस बात को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न करती है कि आरोपों को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया और आगे बढ़ाया गया। ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्थापित हो कि कथित पीड़ित शंकराचार्य के

गुरुकुल के छात्र थे। कथित पीड़ितों ने न तो अपने अभिभावकों से और न ही सीधे पुलिस से संपर्क किया, बल्कि उन्हें अभियोगकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसने एक अवधि तक उन पर नियंत्रण बनाए रखा। यह स्थिति पॉक्सो संरचना के अंतर्गत पीड़ितों के साथ व्यवहार के लिए निर्धारित वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों के विपरीत है।

जिन परिस्थितियों में ये आरोप सामने आए — जब शंकराचार्य अपने शिविर में निरंतर सार्वजनिक उपस्थिति में थे, जहाँ समाचार माध्यम और प्रशासनिक उपस्थिति भी थी — वे भी इन आरोपों की संभाव्यता और समय-निर्धारण के मूल्यांकन में प्रासंगिक हैं।

4.2.6 प्राथमिकी के पंजीकरण हेतु न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग

घटनाक्रम से यह संकेत मिलता है कि प्रारंभिक चरण में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के पश्चात, विशेष न्यायालय के हस्तक्षेप के माध्यम से प्रभावी रूप से एफ.आई.आर. का पंजीकरण सुनिश्चित किया गया। प्राथमिकी के पंजीकरण के समर्थन में पुलिस द्वारा बाद में प्रस्तुत रिपोर्ट ने उस स्थिति को पश्चातवर्ती मान्यता प्रदान की, जिसे उन्होंने पहले नहीं अपनाया था।

यह इस बात को दर्शाता है कि न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया, जो प्रारंभिक चरण में नहीं किया गया था, जिससे प्रक्रिया की सद्भावना पर गंभीर प्रश्न उत्पन्न होते हैं।

4.2.7 अभियोजन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने में राज्य की भूमिका

राज्य कोई निष्क्रिय अभियोजक नहीं है; वह न्याय के वितरण की प्रक्रिया में एक सक्रिय सहभागी है, जिस पर विधि के अनुसार निष्पक्ष और न्यायसंगत ढंग से कार्य करने का दायित्व है। वर्तमान मामले में, जहाँ अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री आरोपों की असत्यता और प्रेरित प्रकृति की ओर संकेत करती है, राज्य का आचरण विशेष महत्व ग्रहण करता है।

जब यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत की कार्यवाही में प्रस्तुत हुआ, तब उत्तर प्रदेश राज्य ने ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी के आवेदन का तीव्र विरोध किया। इस विरोध की प्रकृति और स्वर सामान्य अभियोजन प्रतिक्रिया से परे था।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिनांक 25 मार्च 2026 के अपने आदेश में, ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी को अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए, कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ दर्ज कीं, जो अभियोजन के मामले की विश्वसनीयता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। न्यायालय ने अभियोजन की कथा में गंभीर विसंगतियों और कमियों को रेखांकित किया, जिनमें कथित पीड़ितों के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास, अभियोग दर्ज करने में अस्पष्टीकृत विलंब, तथा पीड़ितों के साथ व्यवहार में प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ अंतर्भुक्त हैं।

महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर कथित पीड़ित ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी के गुरुकुल के छात्र नहीं थे, जिससे कार्यवाही की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

4.2.8 समग्र मूल्यांकन

घटनाओं का क्रम — पूर्व में दी गई धमकियाँ, प्रारंभिक पुलिस निष्क्रियता, उसके पश्चात आरोपों की वृद्धि, पुलिस के रुख में परिवर्तन, तथा अभियोजन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना — को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता। पुलिस के आचरण में आंतरिक असंगति, तथा जिस प्रकार प्राथमिकी दर्ज हुई, यह संकेत देते हैं कि कार्यवाही विधि के अंतर्गत अपेक्षित सामान्य प्रक्रिया का पालन नहीं करती।

4.2.9 निष्कर्ष

समिति का निष्कर्ष है कि 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012' (पॉक्सो) के अंतर्गत कार्यवाही की शुरुआत और उसका

अनुसरण गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितताओं तथा आंतरिक विरोधाभासों से युक्त है। पुलिस का आचरण विधिक रूप से अस्थिर है, और घटनाक्रम यह संकेत देता है कि आपराधिक प्रक्रिया का उपयोग शंकराचार्य जी को झूठा फँसाने, उत्पीड़ित करने और उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया। स्पष्ट कमियों के होते हुए भी अभियोजन का समर्थन करने में राज्य की सक्रिय भूमिका इस निष्कर्ष को और सुदृढ़ करती है कि यह आचरण आपराधिक न्याय प्रणाली के गंभीर दुरुपयोग का उदाहरण है।

4.3 राजनीतिक कार्यपालिका: भूमिका और आचरण

4.3.1 संदर्भ और साक्ष्यात्मक आधार

राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका का मूल्यांकन 18 जनवरी 2026 की घटनाओं के पश्चात दिए गए सार्वजनिक वक्तव्यों तथा उसके बाद हुए घटनाक्रमों के संदर्भ में राज्य के आचरण के आधार पर किया जाना है। ये वक्तव्य और कार्यवाही साक्ष्यात्मक संरचना का हिस्सा हैं और विश्लेषण के लिए सहायक मात्र नहीं हैं, बल्कि उससे अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं।

4.3.2 मुख्यमंत्री के वक्तव्य और उनके निहितार्थ

14 फरवरी 2026 को, उत्तर प्रदेश विधान सभा में, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रीयोगी आदित्यनाथ जी ने माघ मेला घटना से संबंधित विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए 'शंकराचार्य' उपाधि के उपयोग पर प्रश्न उठाया और यह कहा कि प्रत्येक व्यक्ति इस पदनाम को धारण करने का अधिकारी नहीं है।

इस संदर्भ में, ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की स्थिति के संबंध में स्पष्ट करना आवश्यक है। उन्हें उनके पूर्ववर्ती जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा, आम्नाय मठों में उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाली स्थापित परंपराओं के अनुसार, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इस परंपरा में उत्तराधिकार की प्रक्रिया में वर्तमान शंकराचार्य द्वारा नामांकन तथा स्थापित

धार्मिकविधिविधान के माध्यम से पुष्टि अंतर्भुक्त होती है, जिसमें अन्य शंकराचार्यों द्वारा मान्यता भी सम्मिलित है। वर्तमान मामले में पट्टाभिषेक शृंगेरीमठ के शंकराचार्य के संरक्षण में संपन्न हुआ और तत्पश्चात द्वारकामठ द्वारा अनुमोदित किया गया, जिससे स्वीकृत परंपरा के अनुरूप प्रक्रिया पूर्ण हुई।

इस प्रकार ग्रहण की गई स्थिति को प्रामाणिक संस्थागत और न्यायिक संदर्भों में भी मान्यता प्राप्त है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 3010/2020 में दिनांक 21 सितंबर 2022 के अपने आदेश में यह अभिलिखित किया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य का पद ग्रहण किया है। इसके अतिरिक्त, 'वेद कल्पतरु' (2023) नामक प्रकाशन, जो महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्यालय प्रतिष्ठान — भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था — से संबद्ध है तथा नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया द्वारा प्रकाशित है, उसमें भी उन्हें ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बताया गया है। इस प्रकाशन की भूमिका माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लिखी गई है।

विधिवत नियुक्त ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी की पदस्थिति पर प्रश्न उठाने का अनौचित्य तब और स्पष्ट हो जाता है जब इसकी तुलना लौकिक क्षेत्र में संवैधानिक पदों के साथ की जाती है। एक बार जब किसी मुख्यमंत्री की नियुक्ति संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार हो जाती है और उसे राज्यपाल द्वारा शपथ दिला दी जाती है, तो उसकी वैधता पर पुनः प्रश्न नहीं उठाया जाता। इसी प्रकार, शंकराचार्य पद पर उत्तराधिकार एक स्थापित और मान्य परंपरागत प्रक्रिया का अनुसरण करता है। अतः लौकिक प्राधिकारियों द्वारा इस पदस्थिति पर प्रश्न उठाना उनके अधिकार क्षेत्र से परे एक अनुचित हस्तक्षेप है और यह संवैधानिक पदों के प्रति प्रदर्शित सम्मान के विपरीत एक चयनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि योगी आदित्यनाथ स्वयं गोरखनाथ मठ के महंत हैं, जिन्हें उनके पूर्ववर्ती द्वारा स्थापित धार्मिक परंपरा के अनुसार नियुक्त किया गया था। यदि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की ज्योतिर्मठ शंकराचार्य के रूप में नियुक्ति की वैधता पर प्रश्न उठाया जाता है, तो यही तर्क

उनके स्वयं के महंत पद पर भी समान रूप से लागू होगा। अतः इस प्रकार का चयनात्मक प्रश्न उठाना पूर्णतः असंगत है और समान धार्मिक संस्थाओं एवं परंपराओं के प्रति असमान दृष्टिकोण को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, घटना के पश्चात दिए गए सार्वजनिक वक्तव्यों में मुख्यमंत्री ने कुछ व्यक्तियों के लिए 'कालनेमि-सदृश' शब्दों का प्रयोग किया, जो रामायण से लिया गया एक संदर्भ है और जब किसी धार्मिक व्यक्तित्व के लिए प्रयुक्त होता है तो स्पष्ट रूप से अपमानजनक अर्थ रखता है। 18 जनवरी 2026 की घटनाओं के संदर्भ में, यह उल्लेख व्यापक रूप से ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की ओर संकेत करते हुए समझा गया।

इन वक्तव्यों की प्रकृति, समय और विषयवस्तु महत्वपूर्ण हैं। ये मूल घटना के समाधान की ओर उन्मुख होने के स्थान पर एक मान्यता प्राप्त धार्मिक प्राधिकार की वैधता पर प्रश्न उठाने का प्रभाव उत्पन्न करते हैं और उस व्यापक संदर्भ को प्रभावित करते हैं, जिसमें प्रशासन और पुलिस की कार्रवाइयों का मूल्यांकन किया जाना है।

4.3.4 कदाचार की आंतरिक स्वीकारोक्तियाँ

उत्तर प्रदेश के माननीय उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि शंकराचार्य जी के साथ किया गया व्यवहार एक गंभीर त्रुटि थीऔर उन्होंने इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की माँग की। इसी प्रकार, सत्तारूढ़ भाजपा के वरिष्ठ राजनीतिक पदाधिकारियों, जिनमें श्री सुनील भलारा भी अंतर्भुक्त हैं, ने यह कहा कि शंकराचार्य और उनके शिष्यों का अपमान सनातन धर्म का अपमान है और इसके लिए उत्तरदायित्व तय की जानी चाहिए।

ये वक्तव्य गौण नहीं हैं। ये सत्तारूढ़ तंत्र के भीतर से स्पष्ट रूप से इस बात की स्वीकारोक्ति हैं कि संबंधित आचरण अनुचित था। उच्च स्तर पर इस प्रकार की मान्यता किसी भी संभावित भ्रम या अनजाने में हुई त्रुटि की व्याख्या

को प्रभावी रूप से समाप्त कर देती है और इस निष्कर्ष को बल प्रदान करती है कि इन कार्रवाइयों में पूर्वनियोजन के संकेत विद्यमान थे।

4.3.5 निष्कर्ष

घटनाओं का क्रम — प्रशासनिक अवरोध, अवैध बल प्रयोग, मुख्यमंत्री द्वारा अपमानजनक सार्वजनिक टिप्पणियाँ, सुधारात्मक कार्रवाई का अभाव, तथा शासन के भीतर ही समकालीन रूप से कदाचार की स्वीकारोक्ति — को किसी आकस्मिक या पृथक घटना के रूप में नहीं समझाया जा सकता। यह राज्य की सर्वोच्च राजनीतिक कार्यपालिका की स्थिति के अनुरूप और उसके समर्थन से संचालित एक सुसंगत एवं उद्देश्यपूर्ण आचरण का प्रतिरूप स्थापित करता है।

अतः समिति का निष्कर्ष है कि 18 जनवरी 2026 की घटनाएँ तथा उसके पश्चात की गई कार्रवाइयाँ न तो स्वतःस्फूर्त थीं और न ही आकस्मिक, बल्कि वे राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका के ज्ञान और समर्थन के साथ किए गए पूर्वनिश्चित कार्य-क्रम का हिस्सा थीं। समग्रतः, ये कार्रवाइयाँ राज्य शक्ति के गंभीर दुरुपयोग को दर्शाती हैं।

5. हिंदू धार्मिक स्वायत्तता पर लौकिक राज्य का अतिक्रमण

18 जनवरी 2026 की घटनाओं तथा उनके पश्चात विकसित घटनाक्रमों से उत्पन्न निष्कर्ष केवल तात्कालिक घटना तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे उस व्यापक और स्पष्ट प्रतिरूप को उद्घाटित करते हैं जिसके अंतर्गत हिंदू धार्मिक समागमों और आयोजनों को, एक बार लौकिक प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन लाए जाने के पश्चात, इस प्रकार संचालित किया जाता है कि उनकी अंतर्निहित धार्मिक संरचना और स्वायत्तता का अतिक्रमण हो जाता है। विशेष रूप से, ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी के साथ किया गया व्यवहार कोई पृथक घटना नहीं, बल्कि इसी व्यापक संरचनात्मक प्रतिरूप की अभिव्यक्ति है।

प्रारंभ में यह आवश्यक है कि उस वैधानिक और प्रशासनिक संदर्भ की पहचान की जाए, जिसके अंतर्गत ऐसे आयोजन संचालित होते हैं। लागू वैधानिक रूपरेखा — जिसमें संयुक्त प्रांत मेला अधिनियम, 1938 तथा उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण अधिनियम, 2017 अंतर्भुक्त हैं — विशेष रूप से हिंदू धार्मिक समागमों पर लागू होते हैं। अन्य धर्मों के धार्मिक आयोजनों पर राज्य नियंत्रण का ऐसा कोई तुलनीय वैधानिक रूपरेखा लागू नहीं है। यह असमानता उस विधिक पृष्ठभूमि का निर्माण करती है, जिसके संदर्भ में वर्तमान प्रश्न का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

इस वैधानिक रूपरेखा के भीतर लौकिक और धार्मिक क्षेत्रों के बीच स्पष्ट भेद बनाए रखना आवश्यक है। राज्य द्वारा आयोजित लौकिक आयोजनों में पारंपरिक प्रमुखता और वरीयता स्थापितऔपचारिक मर्यादा (प्रोटोकॉल) के अनुसार लौकिक प्राधिकारियों को प्रदान की जाती है, और प्रशासनिक तंत्र उस संरचना को बनाए रखने के लिए प्रयुक्त होता है। जहाँ राज्य हिंदू धार्मिक आयोजनों के संबंध में — जो सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य और

अवसंरचना तक सीमित है — उत्तरदायित्व ग्रहण करता है, वहाँ यह सहभागिता उन आयोजनों के आंतरिक धार्मिक पदानुक्रम को परिवर्तित या प्रतिस्थापित करने तक विस्तारित नहीं होती।

नागरिक और नियामक सहायता प्रदान करना किसी हिंदू धार्मिक समागम को प्रशासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में परिवर्तित करने का औचित्य नहीं ठहरा सकता। न ही यह सहभागिता भागीदारी, आवागमन और वरीयता से संबंधित स्थापित धार्मिक औपचारिक मर्यादा से विचलन को अधिकृत करती है। हिंदू धार्मिक प्राधिकारियों, जिनमें शंकराचार्य जी भी सम्मिलित हैं, की प्रमुखता स्वयं हिंदू समाज की संरचना और परंपराओं में निहित है; यह राज्य द्वारा प्रदत्त नहीं है।

शंकराचार्य जी किसी धार्मिक आयोजन में साधारण सहभागी नहीं हैं। वे हिंदू धार्मिक व्यवस्था में मान्य प्रमुखतम स्थान रखते हैं। उनका पारंपरिक सहभाग — जिसमें पालकी में संचलन भी अंतर्भुक्त है — ऐसे धार्मिक समागम की संरचना और धार्मिक क्रिया का अभिन्न अंग है। उक्त पद की गरिमा उसी प्रकार से अविभाज्य है जिस प्रकार से ऐसी भागीदारी का संचालन किया जाता है।

तुलनात्मक रूप से, समान स्तर के राज्य-आयोजित लौकिक आयोजनों — जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह — में स्थिति भिन्न होती है। वहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री जैसे लौकिक प्राधिकारियों की गति और औपचारिक मर्यादा पूर्व-निर्धारित होते हैं और बिना किसी विचलन के संरक्षित रखे जाते हैं।

प्रशासनिक और पुलिस तंत्र यह सुनिश्चित करने हेतु नियोजित किया जाता है कि उनका निर्धारित सहभाग पूर्णतः निर्बाध और यथावत बना रहे।

वर्तमान मामले में, एक हिंदू धार्मिक समागम — जिसे पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में लाया गया — इस प्रकार संचालित किया गया कि उसके अंतर्निहित धार्मिक पदानुक्रम की अवहेलना हुई। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी की पूर्व-स्वीकृत एवं पुलिस अनुरक्षकदल युक्त पारंपरिक पालकी शोभायात्रा को उसके

अंतिम चरण में रोक दिया गया। तत्पश्चात उन्हें आदेशात्मक रीति से पालकी से उतरकर पैदल चलने का निर्देश दिया गया, वह भी ऐसे आधार पर जो स्वयं असंगत था। जिस रूप में धार्मिक पद की परंपरागत अभिव्यक्ति होती है, उसी को उसके पूर्ण होने के क्षण पर अस्वीकार कर दिया गया।

यह स्थापित धार्मिक विधिविधान की स्पष्ट और अस्वीकार्य अवहेलना है। जहाँ राज्य यह प्रदर्शित करता है कि वह राज्य-आयोजित लौकिक आयोजनों में लौकिक प्राधिकारियों की निर्बाध गति सुनिश्चित करने में सक्षम है, वहीं उन्हीं के द्वारा प्रशासित हिंदू धार्मिक आयोजनों में हिंदू धार्मिक गणमान्यों को न्यूनतम सुविधा तक न देना — और वस्तुतः उनके प्रति अवमानना प्रदर्शित करना — संवैधानिक और धार्मिक पदों के बीच अंतर का हवाला देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। दोनों अपने-अपने पृथक क्षेत्रों में कार्य करते हैं — लौकिक आयोजन में लौकिक पदाधिकारी, और हिंदू धार्मिक आयोजनों में धार्मिक पदाधिकारी।

ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती यदि लौकिक राज्य ने हिंदू धार्मिक सभाओं और मंदिरों के प्रशासन में हस्तक्षेप कर उन्हें अपने नियंत्रण में न लिया होता। युगों से हिंदू समाज ने ऐसे विशाल धार्मिक आयोजनों का संचालन अपने स्थापित मानदंडों और परंपराओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से किया है। एक बार जब लौकिक राज्य नियंत्रण ग्रहण करता है, तो उस पर नियोजन, समन्वय और सर्वाधिक महत्वपूर्ण — हिंदू धार्मिक गणमान्यों के प्रति सम्मान — को बनाए रखने का दायित्व भी आता है।

इसके विपरीत, वर्तमान मामले में जो परिलक्षित होता है, वह आचरण की ऐसी प्रवृत्ति है जो ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी के प्रति स्पष्ट और भेदभावपूर्ण व्यवहार को दर्शाती है।

यह अंतर स्पष्ट और अपरिहार्य है। राज्य अपने आयोजनों में लौकिक प्राधिकारियों के लिए पारंपरिक निरंतरता और गरिमा सुनिश्चित करता है, जबकि उसके नियंत्रण में आने वाले हिंदू धार्मिक आयोजनों में विपरीत दृष्टिकोण अपनाता है, जिसके परिणामस्वरूप सर्वोच्च हिंदू धार्मिक सत्ता के

साथ अवरोध और सार्वजनिक अपमान की स्थिति उत्पन्न होती है। अन्य धर्मों के धार्मिक व्यक्तियों के साथ राज्य-प्रशासित संदर्भों में ऐसे व्यवहार का कोई तुलनीय उदाहरण उपलब्ध नहीं है।

यह भिन्न दृष्टिकोण — हिंदू धार्मिक आयोजनों पर राज्य नियंत्रण के साथ उनके आंतरिक धार्मिक पदानुक्रम की अवहेलना, जबकि अन्य धर्मों के संदर्भ में ऐसा नियंत्रण अनुपस्थित है — हिंदू धार्मिक संस्थाओं और आयोजनों पर लौकिक राज्य शक्ति के भेदभावपूर्ण प्रयोग के एक प्रतिरूप को दर्शाता है।

इस प्रकार के आचरण का प्रभाव केवल एक घटना तक सीमित नहीं है। यह एक केंद्रीय हिंदू धार्मिक प्राधिकार के सार्वजनिक अवमूल्यन के समान है और यह हिंदू धार्मिक संस्थाओं के प्रति लौकिक राज्य के व्यापक प्रतिकूल दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो क्रमशः उनके धार्मिक मामलों में उनकी भूमिका और स्थिति को कम करने की दिशा में अग्रसर है।

6. अनुशंसाएँ

इस प्रतिवेदन में विवेचित घटनाओं ने हिन्दू धर्मसंस्थाओं की मर्यादा को गम्भीर आघात पहुँचाया है। इनके कारण राज्यसत्ता और हिन्दू धर्म के एक परम प्रतिष्ठित आचार्यपीठ के मध्य अनावश्यक वैमनस्य उत्पन्न हुआ।

यह विषय इसलिए और अधिक गम्भीर है कि वर्तमान में राज्य का संचालन श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है। वे गोरक्षनाथ पीठ के महन्त भी हैं। अतः हिन्दू समाज के व्यापक हित, संस्थागत सौहार्द और संवैधानिक मर्यादा की रक्षा हेतु त्वरित सुधारात्मक कदम आवश्यक हैं।

समिति की अनुशंसाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में तत्काल अपनाए जाने वाले उपायों का उल्लेख है। इनका उद्देश्य इस प्रतिवेदन में वर्णित घटनाओं से उत्पन्न दुष्परिणामों का निवारण करना है।

द्वितीय भाग में दीर्घकालिक संस्थागत उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। इनका उद्देश्य ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना तथा धर्म और राज्य के मध्य संविधानसम्मत एवं संतुलित सम्बन्ध स्थापित रखना है।

6.1 तात्कालिक उपाय

6.1.1 सामंजस्य और संस्थागत संवाद

ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती जी तथा गोरक्षनाथ पीठ के महन्त श्री योगी आदित्यनाथ जी — दोनों ही हिन्दू समाज में अत्यन्त प्रतिष्ठित धार्मिक पदों पर आसीन हैं।

इस प्रतिवेदन में विवेचित घटनाओं ने हिन्दू धर्मसंस्थाओं की मर्यादा को गम्भीर आघात पहुँचाया है। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी के विरुद्ध राज्यशक्ति का आक्रमण एवं अन्याय हुआ। उनका सार्वजनिक अपमान किया गया।

तत्पश्चात उन्हें आपराधिक प्रकरणों में फँसाने के प्रयास भी हुए। इन घटनाओं के कारण हिन्दू समाज के भीतर अनावश्यक वैमनस्य उत्पन्न हुआ।

यह विषय इसलिए और अधिक गम्भीर है कि ये घटनाएँ श्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में घटीं। वे स्वयं भी हिन्दू धर्म के एक प्रतिष्ठित पीठ के महन्त हैं।

ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी के विरुद्ध जो आक्रमण एवं अन्याय हुआ, उसका मूल राज्यतन्त्र में था। इसलिए इस विषय के समाधान का प्रथम दायित्व भी राज्य के प्रधान पर ही आता है। अतः समिति यह अनुशंसा करती है कि श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री के रूप में, ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी के साथ प्रत्यक्ष संवाद और मेल-मिलाप का उपक्रम आरम्भ करें। इससे संस्थागत सौहार्द की पुनर्स्थापना होगी तथा 18 जनवरी 2026 की घटनाओं से उत्पन्न शंकाओं और विवादों का शमन हो सकेगा।

6.1.2 संस्थागत उत्तरदायित्व और क्षमायाचना

यह अनुशंसा की जाती है कि योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, प्रयागराज के संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें कि वे अपने कृत्यों के अनौचित्य को पारंपरिक रूप से स्वीकार करें तथा ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी से निःशर्त क्षमा याचना प्रस्तुत करें।

इस प्रकार की त्रुटि की स्वीकारोक्ति संस्थागत विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करने, धार्मिक संस्थाओं के प्रति सम्मान की पुनर्पुष्टि करने तथा भविष्य में ऐसे आचरण की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

6.1.3 ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी की सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण

यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के संबंध में संकट के स्तर का तत्काल और विस्तृत आकलन करे तथा उसके अनुरूप उपयुक्त एवं सुदृढ़ सुरक्षा प्रदान करे।

समिति के समक्ष प्रस्तुत सामग्री से यह संकेत मिलता है कि शंकराचार्य

जी ने सार्वजनिक रूप से अपने जीवन पर गंभीर संकट की आशंका व्यक्त की है, विशेषकर माघ मेला की अवधि के मध्य। यह भी उल्लेखनीय है कि इसके पश्चात भी उन्हें लगातार धमकियाँ प्राप्त होती रही हैं, जिनमें अप्रैल के प्रथम सप्ताह की एक नई घटना भी अंतर्भुक्त है, जिसकी सूचना उनके कार्यालय द्वारा वाराणसी के स्थानीय पुलिस अधिकारियों को दी गई थी।

उनकी उच्च धार्मिक प्रतिष्ठा और अभिलेख पर उपलब्ध परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त और प्रभावी सुरक्षा उपाय अनिवार्य हैं।

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्थाएँ केवल पारंपरिक न हों, बल्कि समय-समय पर बदलते खतरे के आकलन के आधार पर उनकी समीक्षा करके अद्यतन किया जाए।

6.2 संरचनात्मक उपाय

6.2 राज्यीय अतिक्रमण की रोकथाम द्वारा हिंदू धार्मिक स्वायत्तता की पुनर्स्थापना

यद्यपि उपर्युक्त तीन अनुशंसाएँ तत्काल स्थिति के सुधार हेतु हैं, यह अनुशंसा एक दीर्घकालिक संरचनात्मक उपाय के रूप में प्रस्तुत की जा रही है, जिसका उद्देश्य भविष्य में पुनरावृत्ति और संभावित टकराव को रोकना है।

इस प्रतिवेदन में परीक्षण की गई घटनाएँ केवल प्रशासनिक अतिरेक के पृथक उदाहरण नहीं हैं, बल्कि यह राज्य शक्ति के ऐसे दुरुपयोग को दर्शाती हैं जो हिंदू धार्मिक प्राधिकारियों और संस्थाओं के विरुद्ध निर्देशित है, तथा जो लौकिक राज्य तथा हिंदू धार्मिक संस्थाओं के परस्पर संबंधों में निहित एक गहन संवैधानिक विकृति से उत्पन्न होता है। यह विकृति धार्मिक क्षेत्र और लौकिक क्षेत्र के बीच स्पष्ट पृथक्करण के अभाव से उत्पन्न होती है, जिसके कारण लौकिक राज्य द्वारा उन विषयों में क्रमिक अतिक्रमण संभव हो जाता है, जो वस्तुतः धार्मिक संस्थाओं के क्षेत्राधिकार में आते हैं, और यह स्थिति लौकिकता के संवैधानिक सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।

यह अतिक्रमण केवल नियामक प्रकृति का नहीं है, बल्कि वर्तमान मामले से स्पष्ट होता है कि इसके परिणामस्वरूप स्थापित धार्मिक पदानुक्रम

का प्रभावी निरसन तथा मान्यता प्राप्त हिंदू धार्मिक प्राधिकार का सार्वजनिक अवमूल्यन हुआ है।

लौकिकता पर आधारित संवैधानिक संरचना में राज्य और धर्म की भूमिकाएँ पृथक होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म का पालन करने तथा अपनी धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। राज्य का दायित्व कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आधारभूत संरचना, स्वच्छता, विद्युत, जल आपूर्ति और सुरक्षा जैसी नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने तक सीमित है। मूल सिद्धांत स्पष्ट है: धार्मिक मामलों का संचालन धर्म द्वारा किया जाता है और लौकिक मामलों का संचालन राज्य द्वारा।

ऐतिहासिक रूप से, हिंदू धार्मिक संस्थाएँ किसी केंद्रीकृत धार्मिक प्राधिकरण के बिना विकसित हुईं और धर्माचार्यों, अखाड़ों, संप्रदायों तथा सामुदायिक संरक्षकता की विकेन्द्रीकृत परंपराओं के माध्यम से संचालित होती रहीं। शासकों ने शांति और संरक्षण सुनिश्चित किया, परंतु धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया। तथापि, समय के साथ सुविधा प्रदान करने के लिए बनाए गए विधायी और प्रशासनिक संरचना क्रमशः पर्यवेक्षण और अंततः नियंत्रण में परिवर्तित हो गए। जो व्यवस्था सुविधा के रूप में आरंभ हुई थी, वह प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में विकसित हो गई।

इसके परिणामस्वरूप, आज अनेक हिंदू मंदिर और धार्मिक संस्थाएँ धार्मिक प्राधिकारियों या हिंदू समाज द्वारा नहीं, बल्कि शासन द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा संचालित की जा रही हैं। पुजारी, पारंपरिक संरक्षक और धार्मिक प्राधिकारी अक्सर उन संस्थाओं में सीमित अधिकार रखते हैं, जो मूलतः धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित की गई थीं। मंदिरों की आय पर भी प्रायः लौकिक प्राधिकारियों का नियंत्रण होता है, जिससे संस्थागत स्वतंत्रता में कमी आती है। इसके विपरीत, अन्य धर्मों की संस्थाएँ, जैसे चर्च और मस्जिदें, प्रायः अपने कार्यों का प्रबंधन स्वयं करती हैं, जिन पर राज्य का तुलनात्मक हस्तक्षेप नहीं है, जिससे लौकिक संवैधानिक व्यवस्था के भीतर असमानता की चिंता उत्पन्न होती है।

यह प्रवृत्ति मेला और यात्राओं जैसे बड़े हिंदू धार्मिक आयोजनों तक भी विस्तारित होती है। यद्यपि सार्वजनिक व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता, आधारभूत संरचना और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य की भूमिका आवश्यक और वैध है, तथापि लौकिक प्राधिकारियों ने क्रमशः धार्मिक संगठन के क्षेत्र में भी नियंत्रण ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया है — जैसे पारंपरिक वरीयता निर्धारित करना, धार्मिक स्थानों का आवंटन करना, तथा उन मामलों में भागीदारी को विनियमित करना, जो परंपरागत रूप से धर्माचार्यों द्वारा निर्धारित किए जाते थे। इसका परिणाम यह होता है कि लौकिक प्रशासनिक पदानुक्रम आध्यात्मिक प्राधिकारियों का स्थान ले लेता है, और धार्मिक जनसमूह आध्यात्मिक मार्गदर्शन से संचालित समागमों के स्थान पर सरकारी आयोजनों में परिवर्तित हो जाते हैं।

जहाँ राज्य-आयोजित कार्यक्रमों, जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में लौकिक अधिकारियों को उचित वरीयता दी जाती है, वहीं हिंदू धार्मिक आयोजनों में इसके विपरीत स्थिति देखने को मिलती है — जहाँ धर्माचार्यों को हाशिये पर रखा जाता है और प्रशासनिक अधिकारी नियामक आधारों के नाम पर पारंपरिक प्रमुखता ग्रहण कर लेते हैं। यह केवल विनियमन नहीं, बल्कि धार्मिक शासन में निरंतर अतिक्रमण और हिंदू धार्मिक संस्थाओं के प्रभावी अधीनस्थीकरण का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश में यह स्थिति मंदिर और मेला प्रशासन से संबंधित विभिन्न विधियों के जाल के कारण उत्पन्न होती है, जिनमें संयुक्त प्रांत मेला अधिनियम, 1938; उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण अधिनियम, 2017; धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1863; श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983; तथा उत्तर प्रदेश विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद अधिनियम, 2021 सहित अन्य संबंधित विधान सम्मिलित हैं। समग्र रूप से, ये विधिक संरचनायें हिंदू धार्मिक संस्थाओं पर लौकिक सरकारी नियंत्रण को संस्थागत रूप प्रदान करते हैं।

संवैधानिक संतुलन की पुनर्स्थापना के लिए केवल आंशिक सुधार पर्याप्त नहीं, बल्कि संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक हैं।

(i) धर्म और राज्य का संवैधानिक पृथक्करण

यह अनुशंसा की जाती है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार धर्म और राज्य के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत को लागू करे, जिससे धार्मिक विषयों का संचालन पूर्णतः धार्मिक प्राधिकारियों द्वारा किया जाए, जबकि राज्य स्वयं को सख्ती से नागरिक, प्रबंधन तथा कानून-व्यवस्था से संबंधित कार्यों तक सीमित रखे। संवैधानिक संरचना के अंतर्गत :

धार्मिक प्राधिकारी :

(क) धार्मिक विषयों और अनुष्ठानों का मार्गदर्शन करें;
(ख) मंदिरों, मेलों और धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करें;
(ग) धार्मिक औपचारिक मर्यादा (प्रोटोकॉल) का निर्धारण करें।

लौकिक राज्य :

(क) कानून-व्यवस्था बनाए रखे;
(ख) भीड़ प्रबंधन करे;
(ग) आधारभूत संरचना और स्वच्छता उपलब्ध कराए;
(घ) सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करे।

(ii) हिंदू धार्मिक मामलों पर राज्य नियंत्रण समाप्त करने हेतु विधायी उपाय

यह अनुशंसा की जाती है कि उत्तर प्रदेश में मंदिरों और धार्मिक समागमों को नियंत्रित करने वाले वर्तमान वैधानिक ढाँचों का पुनरीक्षण, निरसन या उपयुक्त संशोधन किया जाए, जहाँ तक कि वे धार्मिक मामलों पर सरकारी नियंत्रण को सक्षम बनाते हैं। ऐसे सुधार का उद्देश्य होना चाहिए:

(क) राज्य के हस्तक्षेप को केवल लौकिक पक्षों — नागरिक, प्रबंधन तथा कानून-व्यवस्था — तक सख्ती से सीमित करना;
(ख) धार्मिक संस्थाओं और उनके शासन में अतिक्रमण को रोकना;
(ग) धर्म और धार्मिक मामलों में धार्मिक संस्थाओं की प्रधानता को पुनर्स्थापित करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि सुविधा प्रदान करना नियंत्रण में परिवर्तित न हो।

(iii) उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म परिषद का गठन

इस कार्य-विभाजन को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हिंदू धार्मिक प्राधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्थागत व्यवस्था आवश्यक है।

अतः यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार एक विधि अधिनियमित करे, जिसे उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म परिषद अधिनियम के रूप में अभिहित किया जाए, जिसके अंतर्गत "उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म परिषद" की स्थापना की जाए, जो राज्य में हिंदू धार्मिक मामलों के संचालन हेतु सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करे।

प्रस्तावित विधि यह अनिवार्य करेगी कि वर्तमान वैधानिक ढाँचों का व्यापक पुनरीक्षण एवं संशोधन किया जाए, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, ताकि धर्म के मामलों में धार्मिक संस्थाओं की प्रधानता पुनर्स्थापित की जा सके:

(क) संयुक्त प्रांत मेला अधिनियम, 1938;
(ख) उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण अधिनियम, 2017;
(ग) धार्मिक न्यास अधिनियम, 1863;
(घ) उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983;
(ङ) उत्तर प्रदेश विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद अधिनियम, 2021;
(च) तथा अन्य संबंधित विधान।

इन सुधारों के माध्यम से प्रस्तावित "उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म परिषद" को हिंदू धर्म, उसकी संस्थाओं तथा संबंधित गतिविधियों के मामलों में एक समग्र पर्यवेक्षी और मार्गदर्शक भूमिका प्रदान की जाएगी, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी वैधानिक रूपरेखा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धार्मिक सत्ता पर शासकीय नियंत्रण को सक्षम न बनाए।

विधि में यह भी प्रावधान किया जाए कि उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म परिषद को हिंदू धार्मिक शासन के मामलों में प्राथमिकता प्राप्त होगी, तथा धार्मिक

विषयों — जैसे धार्मिक शिष्टाचार, पारंपरिक वरीयता, संस्थागत मान्यता और धार्मिक आयोजनों के संचालन — पर उसके निर्णय सभी प्रशासनिक और वैधानिक प्राधिकारियों पर बाध्यकारी होंगे, केवल सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विचारों के अधीन।

उद्देश्य :

(क) धार्मिक मामलों का संचालन धार्मिक प्राधिकारियों द्वारा किया जाए;

(ख) नागरिक प्रशासन राज्य के पास ही रहे।

गठन :

(क) अध्यक्ष — ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी;

(ख) प्रमुख अखाड़ों, संप्रदायों, मठ, संस्थाओं तथा धर्मशास्त्र के विद्वानों के प्रतिनिधि।

कार्य :

(क) धार्मिक विषयों का मार्गदर्शन करना;

(ख) धार्मिक समागमों और मेलों का प्रबंधन करना;

(ग) धार्मिक शिष्टाचार एवंपारंपरिक वरीयता निर्धारित करना;

(घ) मंदिर प्रशासन का पर्यवेक्षणकरना;

(ङ) परंपराओं और रीति-रिवाजों का संरक्षण करना;

(च) धार्मिक प्राधिकारियों को मान्यता देना;

(छ) पात्रता के अनुसार धार्मिक उपाधियाँ प्रदान करना;

(ज) धार्मिक उपदेशकों और कार्यकर्ताओं का प्रमाणन करना;

(झ) हिंदू धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना;

(ञ) पारंपरिक संस्थाओं को पुनर्जीवितकरना;

(ट) न्यायालयों और लोकप्राधिकारियों को हिंदू धार्मिक आचरण एवं संस्थाओं से संबंधित विषयों पर परामर्श देना;

(ठ) हिंदू धर्म के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार हेतु आवश्यक अन्य कार्य करना।

परिषद धार्मिक शासन के मामलों में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगी, जबकि आपराधिक कानून, सार्वजनिक व्यवस्था का रख-रखाव, सुरक्षा प्रबंधन (पुलिसिंग) तथा अन्य संप्रभु कार्य राज्य के पास ही रहेंगे।

(iv) ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी को अध्यक्ष बनाने के कारण

ज्योतिर्मठ शंकराचार्यजी को अध्यक्ष के रूप में नामित करने का आधार निम्नलिखित विचारों पर आधारित है:

(क) **सभ्यतागत निरंतरता** : शंकराचार्य परंपरा का उद्भव आदि शंकराचार्य जी से हुआ, जिन्होंने हिंदू सभ्यता में आध्यात्मिक मार्गदर्शन और दार्शनिक एकता हेतु मठ संस्थाओं की स्थापना की।

(ख) **पंथातीत प्राधिकार** : शंकराचार्य संप्रदायगत विभाजनों से ऊपर कार्य करते हैं, जिससे विभिन्न संप्रदायों के बीच संतुलित प्रतिनिधित्व संभव होता है।

(ग) **उत्तर भारत से ऐतिहासिक संबंध :** ज्योतिर्मठ (उत्तराम्नाय मठ), जो हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ऐतिहासिक रूप से उत्तर भारत, विशेषतः उत्तर प्रदेश, पर आध्यात्मिक प्रभाव रखता रहा है और दशनामी परंपरा तथा अखाड़ों से संबंधित है।

(घ) **केंद्रीकृत धार्मिक संरचना का अभाव** : हिंदू परंपराओं में कोई केंद्रीकृत धार्मिक प्राधिकरण नहीं है। शंकराचार्य संस्था ऐतिहासिक रूप से स्वीकृत एकीकृत नेतृत्व का ऐसा आदर्श प्रस्तुत करती है, जो एकरूपता थोपे बिना समन्वय स्थापित करती है।

(ङ) **प्रतीकात्मक तटस्थता और वैधता** : एक मान्यता प्राप्त पारंपरिक जगद्गुरु शंकराचार्य जी के नेतृत्व से ऐसी वैधता सुनिश्चित होती है, जो राजनीतिक नियुक्ति के स्थान पर परंपरा पर आधारित होती है, जिससे धर्म और राज्य के पृथक्करण को सुदृढ़ किया जाता है।

(च) **संस्थागत स्थिरता** : आध्यात्मिक रूप से आधारित नेतृत्व संरचना राजनीतिक परिवर्तनों के बीच निरंतरता सुनिश्चित करती है तथा धार्मिक शासन के राजनीतिकरण को रोकती है।

(v) संवैधानिक संगति और अपेक्षित परिणाम

प्रस्तावित रूपरेखालौकिकता को कमजोर नहीं, बल्कि संवैधानिक पृथक्करण को पुनर्स्थापित करके उसे सुदृढ़ करता है। यह :

(क) धर्म के प्रबंधन को पुनः धार्मिक संस्थाओं को सौंपता है;

(ख) सार्वजनिक कल्याण पर राज्य के पूर्ण अधिकार को संरक्षित रखता है;

(ग) धर्म में राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप को कम करता है;

(घ) शासन और धर्म के बीच सहकारी सह-अस्तित्व स्थापित करता है।

अपेक्षित परिणामों में अंतर्भुक्त हैं:

(क) हिंदू मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं के स्वायत्तता की पुनर्स्थापना;

(ख) प्रशासन और धार्मिक प्राधिकारों के बीच टकराव का निवारण;

(ग) मेलों जैसे आयोजनों के धार्मिक स्वरूप का संरक्षण;

(घ) वैधता और जनविश्वास में वृद्धि;

(ङ) शासन का लौकिक संवैधानिक सिद्धांतों के साथ सामंजस्य।

अंततः, एक लौकिक राज्य धर्म की रक्षा करता है; वह उसका संचालन नहीं करता। जब राज्य धार्मिक संस्थाओं का संचालन करने लगता है, तो संवैधानिक संतुलन प्रभावित होता है और धार्मिक प्राधिकार का स्थानांतरण हो जाता है। जब धार्मिक प्राधिकारी धार्मिक मामलों का संचालन करते हैं और राज्य नागरिक विषयों का, तब दोनों प्रभावी और सामंजस्यपूर्ण रूप से कार्य करते हैं।

उपरोक्त अनुशंसाओं का उद्देश्य इसी संतुलन की पुनर्स्थापना करना है, ताकि इस प्रतिवेदन में परीक्षण की गई घटनाओं जैसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति न हो।

*****